

# 582

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. NO. 396/2022

IN THE MATTER OF:

GOPAL CHANDRA VANWASSI

...PETITIONER

VERSUS

STATE OF UTTRAKHAND AND ORS.

...RESPONDENTS

**RESPONSE ON BEHALF OF M/S ASHOK STONE CRUSHER-  
RESPONDENT NO. 6**

Filed By

ANIRUDDHA DESHMUKH  
ADVOCATE FOR THE RESPONDENT  
I-11, 1<sup>ST</sup> FLOOR, JANGPURA EXTENSION  
NEW DELHI-110014  
MOB-9971633944  
EMAIL-aniruddha@smarth.in

New Delhi

Dated: 25.03.2023

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. NO. 396/2022

IN THE MATTER OF:

GOPAL CHANDRA VANWASSI

...PETITIONER

VERSUS

STATE OF UTTRAKHAND AND ORS.

...RESPONDENTS

INDEX

Sl. No	Description	Page Nos.
1.	Response of the Respondent No. 6	1-6
2.	Annexure A1 A copy of the Letter of the UP State Pollution Control Board	7-8
3.	Annexure A2 A copy of the CCA dated 06.11. 2021	9-31
3.	Annexure A3 A copy of the permission/approval dated 30.09.2021	32-35
4.	Annexure A4 A copy of the Uttarakhand Crusher Policy 2021 and its amendment	36-79
5.	Annexure A5 A copy of the photographs showing the green belt	80-83
9.	Annexure A6 A copy of the photographs showing the systems in place to control air pollution	84-88
10.	Annexure 7 Latest water bill of the State Water Resources Department	89-91
11	Annexure A8 A copy of the log book of water usage	92-97

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. NO. 396/2022

IN THE MATTER OF:

GOPAL CHANDRA VANWASSI

...PETITIONER

VERSUS

STATE OF UTTRAKHAND AND ORS.

...RESPONDENTS

**RESPONSE ON BEHALF OF M/S ASHOK STONE CRUSHER-  
RESPONDENT NO. 6**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

- A. The present response is being filed on behalf of the Respondent No. 6, consequent to the order of this Hon'ble Tribunal dated 08.02.2023.
- B. It is submitted at the outset itself that as on date, the Respondent No. 6 is following all the norms and regulations relating to establishment and operation stone crusher unit in the State of Uttarakhand . The compliance of the Respondent No. 6 has been noted by the UK State Pollution Control Board vide its affidavit dated 07.02.2023.
- C. It is submitted that the present proceedings arise consequent to the Report filed by the State PCB. In the Report filed by the State PCB, certain deficiencies were highlighted, consequent to which the Respondent No. 6 was issued a show cause notice dated 27.08.2022.
- D. It is submitted that instead of contesting the said show cause notice at that stage, and instead of filing a response before this Hon'ble Tribunal at that stage, the Respondent No. 6 however took remedial

steps, in accordance with the show cause notice to ensure that no damage to the environment was caused. It is submitted that the factum of such compliance has been recorded in the aforementioned affidavit of the State PCB. It is therefore submitted that as on date there is no violation of the norms/regulations.

E. It is submitted however as follows:

- a. That the unit was established in 1986.
- b. The Respondent No. 6 being aware of its obligations to the environment therefore applied to the erstwhile UP State Pollution Control Board for Registration. Formal approval letter dated 05.08.1986 was issued by the UP SPCB since then the unit was running in compliance with all the rules and regulations and in the interregnum period no adverse remarks were found against the Respondent No. 6. A copy of the Letter of the UP State Pollution Control Board is hereby annexed as **Annexure A1.**
- c. It is submitted that thereafter from time to time the Respondent No. 6 has been taking consent from the Pollution Control to Operate and the last consent was applied for 30.10.2021 which was granted initially as Provisions Consolidated Consent and Authorisation, however on 06.11.2021 the Respondent No.6 has been granted a CCA that is now valid till 31.10.2026. A copy of the CCA dated 31.10.2026 is hereby annexed as **Annexure A2.**

- d. It is submitted that in 2008 the State introduced the stone crusher policy laying down certain norms and regulations to be followed, which norms too the unit was complying with from time to time.
- e. It is submitted that in 2021 the updated stone crusher policy was introduced by the State Government consequent to which a revised permission/consent to operate a stone crusher/screening plant was issued to the Respondent No. 11 vide Letter No. 1490/VII-A-2021/68/WRIT/TC1 dated 17.08.2021. Vide this numerous terms and conditions were imposed upon the Respondent No.6 A copy of the permission/approval dated 30.09.2021 is hereby annexed as **Annexure A3.**

**A. Siting/Location Norms are not applicable to the unit being an exempt unit.**

- a. It is submitted that the Respondent No. 11 was established a time when there were no siting norms, in terms of distance to be maintained from certain zones/units of residence etc. hence in accordance with the policy the unit is exempt from the siting norms introduced after the unit was established.
- b. It is submitted that the only requirement is to maintain a 6 Mts. Distance which the unit complies with. A copy of the Uttarakhand Crusher Policy 2021 and its amendment is hereby annexed as **Annexure A4**

**B. Green Belt is in existence and the show-cause notice requires to be set aside to that extent**

a. It is submitted that the unit has already established a sufficient green belt along the unit and the size of the trees and the height shows that the trees are old and that therefore the unit is following the norms and regulations. It is submitted that the green belt in accordance with the 2021 policy has been established as is evident from the younger trees on the outside to the boundary wall of the unit, and much taller and thicker trees growing from inside the boundary of the unit. A copy of the photographs showing the green belt are hereby annexed as **Annexure A5.**

b. It is submitted that therefore the Objection No. 1 as raised by the State PCB in the consequent Show Cause Notice dated 27.08.2022 is required to be dismissed, since it is not possible that the Respondent No. 6 can establish green belt within a span of a year or two. It is submitted that the unit had a green belt around it which is sufficient to contain fugitive emissions from the unit during operation. It therefore humbly prayed that the said Objection No. 1 may not be held against the Respondent.

c. It is submitted that the show cause notice therefore suffers from a patent non-application of mind and is contrary to the own inspection of the State PCB itself.

d. It is submitted therefore the Show Cause notice dated 27.08.2022 may kindly be set aside to that extent.

**C. Non-Provision of Interlocking Manufacturing Process and operation of air pollution control systems.**

- a. It is submitted that the inspection report submitted to this Hon'ble Tribunal states that the pollution control/emission control equipment was found to be installed as well as functional. However, it was observed that the interlocking of the manufacturing process has not be provided for.
- b. It is submitted that the same objection was also raised in the Show-Cause Notice. It is submitted that the Respondent No. 6 has already provided for the said interlocking systems and also provided for sufficient control systems for pollution and emissions. Hence it is submitted that the aforesaid objection of the State Pollution Control Board may also be rejected. A copy of the photographs showing the systems in place is hereby annexed as **Annexure A6**.

**D. The unit has not provided temper proof electronic meter and daily water consumption logbook.**

- a. It is submitted that the Respondent No. 11 has a water connection from the State Water Resources Department and the latest water bill is hereby annexed as **Annexure A7**.
- b. It is submitted that that the Respondent No. 11 does not use any groundwater at all. It is submitted that even for usage of

such water the Respondent No. 11 maintains a log book. It is submitted that the Department charges the Respondent No. 6 for a fixed 15,000 KL a month. A copy of the log book of water usage is hereby annexed as **Annexure A8**.

- c. It is submitted that the State Water Resources Department has affixed two separate analogue meters in the premises of the Respondent No. 6 and as of now it is not possible to install a digital meter without undertaking a lengthy process with the State Water Resources Department. It is submitted that the same may not be insisted upon by the State PCB since there is no ground water abstraction by the unit, and the water is supplied by the Water Resources Department itself.

In light of the fact that the Respondent No. 6 is fully compliant with the law and the various rules and regulations, the proof of which the Respondent No. 11 has now independently placed before this Hon'ble Tribunal, the present proceedings in so far as they pertain to the Respondent No. 11 may be closed and appropriate order may be passed.

Filed By

ANIRUDDHA DESHMUKH  
ADVOCATE FOR THE RESPONDENT  
I-11, 1<sup>ST</sup> FLOOR, JANGPURA EXTENSION  
NEW DELHI-110014  
MOB-9971633944  
EMAIL-aniruddha@smarth.in

New Delhi  
Dated: 25.03.2023

क्षेत्रीय कार्यालय : २५७, जनकपुरी, बरेली-२४३१२२

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Regional office : 257 Janakpuri, BAREILLY-243122

No. 873/NOC-398, 6-4

दिनांक

Dated 5.8.86

M/S Ashok Stone Crusher,  
C/O Ashok Kumar Agerwal,  
Indian Oil Dealer,  
Ram Nagar, Distt. Nainital.

SUBJECT: -N.O.C. FROM POLLUTION ANGLE FOR SETTING UP OF YOUR SMALL SCALE INDUSTRY FOR THE PRODUCTION CRUSHING OF 100 TON STONE PER DAY AT VILL. CHORPANI, RAMNAGER DISTT. NAINITAL AFTER INSTALLATION OF EFFLUENT TREATMENT PLANT AND AIR POLLUTION CONTROL ARRANGEMENTS.

Dear Sir,

Please refer to your application dated 19.7.86 on the subject noted above and subsequent correspondence in this regard. The No Objection Certificate, solely for the aspect of pollution control, is hereby issued to you for the production crushing of 100 Ton Stone per day subject to the strict compliance of the following conditions.

1. The actual conditions (attached as annexure-I) as applicable to your industry shall be observed.
2. The actual production capacity of your industry shall not exceed of crushing of 100 Ton Stone per day.
3. Sludge shall be disposed as not to cause any subsequent problem of water, air or soil pollution.
4. You will be responsible of any loss to nearby agriculture or human health caused by any leakage or emissions from your industry.
5. You will not discharge any kind of trade effluent outside your factory premises.
6. You will not use any kind of fuel in your industry.
7. You will develop green belt at maximum available area around the factory.
8. You will keep all safety measurements in your industry.
9. You will submit a certificate of land use within 3 months.

Yours faithfully,

/NOC-398/86-

Copy to:-

1. The Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
2. The District Industries Centre, Haldwani, Nainital.

(K. K. Sharma)  
Regional Officer

Verified from Original

K. K. Sharma - Kailash Commercial Complex - Aliganj - Lucknow

(P. N. Tandon)  
A. E. E.

591

Rural/Urban/CC/SC/Other

Regd. No. 238

Date 23/01/22-1-87

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH



Directorate of Industries  
District Industries Centre Haldwani

Distt. NAINITAL

Premanent Registration As A Small Scale Industrial Unit

CERTIFICATE

This is to Certify that M/s. Ashok Stone Crusher  
Chor-Pani Ramnagar, Nainital  
( Office address ) a Proprietorship / Partnership / Private Limited / Public Limited  
Concern is Small Scale Industries Unit Registered with this Directorate and is allotted  
Following Registration Number.

No.

Dated

C | 20 | 41 | 02224 | PMT | SSI | 09

02 | 01 | 1987

for te Factory located at Chor-Pani Ramnagar, Nainital  
for manufacturing / Processing of the following items :-

Sl. No.	Name of Item(s) mfd.	Sl. No.	Name of Item(s) mfd.
1-	Stone grids, shingles,	2-	
3-	Chipp & sand	4-	
5-		6-	

Date of Commencement of production :- 12-10-1986

Place : Haldwani

Office Seal

*J. C. Datta*  
General Manager  
District Industries Centre  
Haldwani (Nainital)  
for Director of Industries U.P.

Subsequent Addition or Deletion of Items :

Date	Name of Item(s)	Addition/Deletion
------	-----------------	-------------------

Signature of Regn Authority  
Office of the  
General Manager  
D. I. C. Haldwani

End No ..... Dated .....

Copy Forwarded for Information and necessary action to :-

- 1- M/s.....
- 2- Directorate of Industries Section 6, U.P., Kanpur.
- 3- Directorate of Industries Section 8, U.P., Kanpur.
- 4- Joint Director of Industries Kumon Mandal Nainital.

Uttaranchal Environment Protection and Pollution Control Board, Dehradun

ANX-2  
9

592  
CONSENT SEEING FORM  
FORM 1-A (Air)

[See Air Rule 4 (i)]

(To be submitted in triplicate)

APPLICATION FOR CONSENT FOR EMISSIONS/CONTINUATION OF  
EMISSION UNDER SECTION 21 OF THE AIR (PREVENTION AND CONTROL  
OF POLLUTION) ACT, 1981

From Ashok Kumar  
Ashok Stone Crusher  
Village Chorpani  
Ranaga Dist Nainital

Date: 10/4/2007

To, The Member-Secretary,  
Uttaranchal Environment Protection & Pollution Control Board,  
E-115, Nehru Colony,  
Dehradun

Sir,

I/We hereby apply for consent to establish/operate/renewal of consent under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Act No. 14 of 1981) as amended up to date to make emission from Industrial Plant owned by (1) Ashok Stone Crusher  
Chorpani, Ranaga Nainital for a period up to (2) 2007

2. The Annexure, appendices, other particulars and plans are attached herewith in triplicate.
3. I/We further declare that the information furnished in the Annexure/appendices, and plans is correct to the best of my/our knowledge.
4. I/We hereby submit that in case of a change either of the point or the quantity of emission or of its quality, a fresh application for CONSENT shall be made and until such consent is granted, no change shall be made.
5. I/We hereby agree to submit to the Board, application for renewal of CONSENT one month in advance of the date of expiry of the consent period.
6. I/We undertake to furnish any other information within one month of its being called for by the Board.

593

## CONSENT SEEKING FORM

FORM 1-A (Air)

(See Air Rule 4 (i))

(To be submitted in triplicate)

## APPLICATION FOR CONSENT FOR EMISSIONS/CONTINUATION OF EMISSION UNDER SECTION 21 OF THE AIR (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1981

Date: 14/5/08

Ashok Kumar.

Ashok Stone Crusher

Village Choppani Ramnagar

Distt Nainital

The Member-Secretary,  
Uttaranchal Environment Protection & Pollution Control Board,  
E-115, Nehru Colony,  
Dehradun

Sr.

I/We hereby apply for consent to establish/operate/renewal of consent under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Act No. 14 of 1981) as amended up to date to make emission from Industrial Plant owned by (1) Ashok Stone Crusher Choppani Ramnagar for a period up to (2) 2008

2. The Annexure, appendices, other particulars and plans are attached herewith in triplicate.
3. I/We further declare that the information furnished in the Annexure/appendices, and plans is correct to the best of my/our knowledge.
4. I/We hereby submit that in case of a change either of the point or the quantity of emission or of its quality, a fresh application for CONSENT shall be made and until such consent is granted, no change shall be made.
5. I/We hereby agree to submit to the Board, application for renewal of CONSENT one month in advance of the date of expiry of the consent period.
6. I/We undertake to furnish any other information within one month of its being called for by the Board.



Uttaranchal Environment Protection and Pollution Control Board, Dehradun

CONSENT SEEMING FORM

FORM 1-A (Air)

[See Air Rule 4 (1)]

(To be submitted in triplicate)

APPLICATION FOR CONSENT FOR EMISSIONS/CONTINUATION OF  
EMISSION UNDER SECTION 21 OF THE AIR (PREVENTION AND CONTROL  
OF POLLUTION) ACT, 1981

11/2-By

594

From

Ashok Kumar  
Ashok Stone Crusher  
Chorpaul Romnager  
Delt Nainital.

Date: 30/4/09

To

The Member-Secretary,  
Uttaranchal Environment Protection & Pollution Control Board,  
E-115, Nehru Colony,  
Dehradun

Sr.

I/We hereby apply for consent to establish/operate/renewal of consent under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Act No. 14 of 1981) as amended up to date to make emission from Industrial Plant owned by (1) Ashok Stone Crusher  
Chorpaul Romnager for a period up to (2) 2009-10

2. The Annexure, appendices, other particulars and plans are attached herewith in triplicate
3. I/We further declare that the information furnished in the Annexure/appendices, and plans is correct to the best of my/our knowledge.
4. I/We hereby submit that in case of a change either of the point or the quantity of emission or of its quality, a fresh application for CONSENT shall be made and until such consent is granted, no change shall be made.
5. I/We hereby agree to submit to the Board, application for renewal of CONSENT one month in advance of the date of expiry of the consent period.
6. I/We undertake to furnish any other information within one month of its being called for by the Board.

Uttaranchal Environment Protection and Pollution Control Board, Dehradun

595

ANX-12/5

CONSENT-SEEKING FORM

FORM 1-A (Air)

[See Air Rule 4 (i)]

(To be submitted in triplicate)

APPLICATION FOR CONSENT FOR EMISSIONS/CONTINUATION OF EMISSION UNDER SECTION 21 OF THE AIR (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1981

Date :

Ashtok Kumar  
Ashtok Stone Crusher  
Chorpane Ramnagar  
Distt. Nainital

The Member-Secretary,  
Uttaranchal Environment Protection & Pollution Control Board,  
E-115, Nehru Colony,  
Dehradun

We hereby apply for consent to establish/operate/renewal of consent under section 21 of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Act No. 14 of 1981) as amended up to make emission from Industrial Plant owned by (1) Ashtok Stone Crusher  
Chorpane, Ramnagar for a period up to (2) 2010-2011

The Annexure, appendices, other particulars and plans are attached herewith in triplicate.

We further declare that the information furnished in the Annexure/appendices, and plans is correct to the best of my/our knowledge.

We hereby submit that in case of a change either of the point or the quantity of emission or of its quality, a fresh application for CONSENT shall be made and until such consent is granted, no change shall be made.

We hereby agree to submit to the Board, application for renewal of CONSENT one month in advance of the date of expiry of the consent period.

We undertake to furnish any other information within one month of its being called for by the Board.

Uttaranchal Environment Protection and Pollution Control Board, Dehradun



CONSENT SEEKING FORM

FORM 1-A (Water)

[See Air Rule 4 (i)]

(To be submitted in triplicate)

Application for consent for discharge/continuation of discharge under section 25/26 of the water (prevention and control of pollution) act, 1974.

ANX-5

From Ashok Kumar  
Ashok Stone Crusher  
Village Charpani Ramnagar  
Nainital

Date: 8/6/2011

To,  
The Member-Secretary,  
Uttaranchal Environment Protection & Pollution Control Board,  
E-115, Nehru Colony,  
Dehradun

Sir,

I/We hereby apply for CONSENT under section 25/26 of the Water (Prevention and Control Pollution) Act, 1974 (Act No. VI 1874) to bring into use any\* new or altered outlet for the discharge sewage/trade effluent\* to begin with new discharge of sewage/trade effluent or continue to make discharge of sewage/trade effluent from land/premise owned by (1) Ashok Kumar/o Ashok Stone Crusher.....for a period up to (2) 01-04-2011 To 31.03.2012.....

- 1. Disposal of Liquid/Solid waste :
  - a) Sewage/sullage via drains/outfall sewers/treatment works.
  - b) Trade effluent via drains/outfalls sewers/treatment works.
  - c) Streams .....river or .....
  - i) On land for irrigation bearing survey No. .... adjoining/ distance of .....stream/river or .....
  - ii) Lake, Pond adjoining/at a distance or stream/river or .....
  - iii) Directly on land for open percolation into sub-terrains on strat of survey No. .... Adjoining/ at a distance of .....Stream/river.
  - d) SolidWastes in to .....



# Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board

## FORM-D 597

E-115 Nehru Colony Haridwar Road, DEHRADUN

[See Rule 20 and rule 21]

### CCA-Renewal - 50096

Application for consent to establish or take any step to establish any Industry, operation process or any treatment and disposal system for discharge, under section 25 or continuation or discharge under section 26 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974.

From : **Ashok Ston Crusher**  
PLOT/PHASE No. VILL-CHORPANI,  
VILL.-CHORPANI P.O. RAMNAGAR,  
RAMNAGAR - 244715  
DIST : Nainital, TAL : Nainital, SIDC : Not In Any SIDC

Date : 06/09/2011

PCB-ID : 13685

I/We hereby apply for consent/renewal of consent under section 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act.1974 (6 of 1974) to establish or take any step to establish any Industry or operation or process or a treatment and disposal system or any extension or addition to bring into use any new altered outlet for discharge of sewage/trade effluent\* to continue to discharge sewage/trade effluent\* from land/premises owned by

To,  
The Member Secretary,  
Uttarakhand Environment Protection & Pollution  
Control Board  
E-115 Nehru Colony  
Haridwar Road, DEHRADUN

1. Full name of the applicant : **Ashok Kumar Agarwal**
2. Nationality of the applicant : **INDIAN**
3. Constitution Type : **Proprietary**
4. Names, Address and Telephone Nos of Applicant : **Ashok Kumar Agarwal (9837213799)**
5. Address of the industry. : **Ashok Ston Crusher,  
PLOT/PHASE No. VILL-CHORPANI,  
VILL.-CHORPANI P.O. RAMNAGAR,  
RAMNAGAR - 244715  
DIST : Nainital, TAL : Nainital, GIDC : Not In Any SIDC**
6. Details of Commissioning etc : **9/5/1986**
7. Total number of employee expected to be employed. : **9**
8. Details of license, if any obtained under the provisions of Industrial Development Regulation Act., 1951 : **C/20/41/02224/PMT/SSI/09**

\*Strike out which is not relevant.

Water



# Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board

E-115 Nehru Colony Haridwar Road, DEHRADUN

## FORM - I

[See Rule 9 (1)]  
(To be submitted in triplicate)

Amx-57

### CCA-Renewal - 52282

Application for consent for establishing / operation the industrial plant / plants under Section 21 of the Air (prevention & Control of Pollution) Act, 1981

From : Ashok Ston Crusher

PLOT/PHASE No. VILL-CHORPANI,  
VILL.-CHORPANI P.O. RAMNAGAR,  
RAMNAGAR - 244715

DIST : Nainital, TAL : Nainital, SIDC : Not In Any SIDC

Date : 27/06/2012

PCB-ID : 13685

To,  
The Member Secretary,  
Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board  
E-115 Nehru Colony  
Haridwar Road, DEHRADUN

I/we hereby apply for consent / renewal of consent under Section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 to establish / operate / the industrial plant / plants owned by Ashok Ston Crusher

Ashok Kumar  
to be located / located at

PLOT/PHASE No. VILL-CHORPANI, VILL.-CHORPANI P.O. RAMNAGAR, RAMNAGAR  
- 244715 DIST : Nainital, TAL : Nainital, SIDC : Not In Any SIDC

The relevant details are as under :

1. Full name of the applicant with designation and address and Telephone / Telex number / Fax No. : **Ashok Kumar Agarwal**
2. Names of full time directors / partners / owners with address and telephone nos. : **As per Annexure 13685\_dir**
3. Full address of the factory / industrial plant/s (Survey No. Village plot No. location premises etc.) with telephone / telex Nos/ Fax No. : **Ashok Ston Crusher,  
PLOT/PHASE No. VILL-CHORPANI,  
VILL.-CHORPANI P.O. RAMNAGAR,  
RAMNAGAR - 244715  
DIST : Nainital, TAL : Nainital, GIDC : Not In Any SIDC**
4. Date of commission of industrial plant/s or proposed date of commissioning : **05/09/1986**
5. Plant/ project cost (Rs. in lakhs) : **50**
- 5A. Specify whether small, medium or large scale. : **Red - Small**
6. Total number of employees : **9**
7. List of Raw materials with monthly consumption rate (MT/month)

Sr	Raw Material Name	Capacity - Unit / Month
1	RIVER BOLDER	30000.000 - M.T

7A. List of Products with monthly production rate (MT/month)

AIR

1 - Through XGN

N I C



HEAD OFFICE  
Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board  
E-115 Nehru Colony, Dehra Dun (Uttarakhand)

Phone : 0135-2668084, Fax : 2668092, Web : www.ueppcb.uk.gov.in, E-mail : msukpcb@yahoo.com

UEPPCB/HO/Con/A-16/2013 / 899

Date: 28.9.2013  
Registered Post

Ann-8

To,  
M/s Ashok Stone Crusher,  
Village-Chorpani, P.O.-Ramnagar,  
Distt-Naintal.

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Renewal) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981" and Authorization under "Rule-5" of the "Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable (to be referred hereinafter as Water Act, Air Act and HW Rules respectively).

PCB ID - 13685	Inward ID - 53720
CCA (Renewal)	
Consent No. 33038/ 676	Date 07.05.2013

CCA is hereby granted to M/s Ashok Stone Crusher located at Village-Chorpani, P.O.-Ramnagar, Distt-Naintal subject to the provisions of the Water Act, Air Act and HW Rules and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

- This CCA is granted for a period from 07.05.2013 to 31.03.2014 and valid for manufacturing of following products with Capital Investment / Net Assets Values ₹ 0.54Cr.

S. No.	Last CCA		Present CCA (Renewal)	
	Product	Quantity (Per Month)	Product	Quantity (Per Month)
1	Stone Grit Various Sizes	30000MT	Stone Grit Various Sizes	30000MT

2. Specific Conditions under Water Act:

- The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

	Last CCA	Present CCA (Renewal)
Trade Effluent	Nil.	Nil.
Sewage	Nil	Nil

- Trade Effluent Treatment and Disposal:** The applicant shall operate Effluent Treatment Plant consisting of primary/secondary and/or tertiary treatment as is required with reference to influent quantity and quality.

*In case of stoppage of functioning of ETP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.*

- The treated effluent shall be recycled to the maximum extent to achieve Zero Discharge and remaining treated effluent shall be sent to CETP/reuse in gardening and the same has to be maintained continuously so as to achieve the quality of the treated effluent to the following general and specific standards as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 and applicable to the unit from time-to-time :-

Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board

FORM - I

(See Rule 9-13)

(To be submitted to the Board)

CCA-Renewal - 53720

Application for consent for establishing / operation the industrial plant / plants under Section 21 of the Air (prevention & Control of Pollution ) Act. 1981

Date : 23/04/2013

PC B-111 - 13685

From : Ashok Ston Crusher

PLOT/PHASE No. VILL-CHORPANI,  
VILL.-CHORPANI P.O. RAMNAGAR,  
RAMNAGAR - 244715  
DIST : Nainital, TAL : Nainital, SIDC : Not In Any SIDC

To.  
The Member Secretary,  
Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board  
E-115 Nehru Colony  
Haridwar Road , DEHRADUN

I/we hereby apply for consent / renewal of consent under Section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution ) Act. 1981 to establish / operate / the industrial plant / plants owned by Ashok Ston Crusher

Ashok Kumar  
to be located / located at

PLOT/PHASE No. VILL-CHORPANI,VILL.-CHORPANI P.O. RAMNAGAR, RAMNAGAR  
- 244715 DIST : Nainital, TAL : Nainital, SIDC : Not In Any SIDC

The relevant details are as under :

1. Full name of the applicant with designation and address and Telephone /Telex number / Fax No. : Ashok Kumar Agarwal
2. Names of full time directors / partners / owners with address and telephone nos. : As per Annexure 13685\_dir
3. Full address of the factory / industrial plant/s (Survey No. Village plot No. location premises etc.) with telephone / telex Nos/ Fax No. : Ashok Ston Crusher,  
PLOT/PHASE No. VILL-CHORPANI,  
VILL.-CHORPANI P.O. RAMNAGAR,  
RAMNAGAR - 244715  
DIST : Nainital, TAL : Nainital, GIDC : Not In Any SIDC  
: 05/09/1986
4. Date of commission of industrial plant/s or proposed date of commissioning : 54
5. Plant/ project cost (Rs. in lakhs) : Retl - Small
- 5A. Specify whether small, medium or large scale. : 9
6. Total number of employees
7. List of Raw materials with monthly consumption rate (MT/month)

Sr	Raw Material Name	Capacity - Unit / Month
1	RIVER BOLDER	30000.000 - M.T

List of Products with monthly production rate (MT/month)

AIR

1 - Through XGN

N I C



HEAD OFFICE  
Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board  
29/20, Nemi Road, Dalanwala, Dehra Dun (Uttarakhand)

Phone : 0135-2658086, Fax : 2718092, Web : www.ueppcb.uk.gov.in, E-mail : msukpcb@yahoo.com

UEPPCB/HO/Con/A-16/2015 / 972

Date: 18/9/2015  
Registered Post

To,  
M/s Ashok Stone Crusher,  
Village-Chorpani, P.O.-Ramnagar,  
Distt-Nainital.

Anx-9

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Renewal) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981" and Authorization under "Rule-5" of the "Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable (to be referred hereinafter as Water Act, Air Act and HW Rules respectively).

PCB ID - 13685	Inward ID - 58482
CCA (Re Apply)	
Consent No. 35180/ 676	Date 16.04.2015

CCA is hereby granted to M/s Ashok Stone Crusher located at Village-Chorpani, P.O.-Ramnagar, Distt-Nainital subject to the provisions of the Water Act, Air Act and HW Rules and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

- This CCA is granted for a period from 16.04.2015 to 31.03.2016 and valid for manufacturing of following products with Capital Investment / Net Assets Values ₹ 0.70Cr.

S. No.	Last CCA		Present CCA (Re Apply)	
	Product	Quantity (Per Month)	Product	Quantity (Per Month)
1.	Refused		Stone Grit Various Sizes	30000MT

2. Specific Conditions under Water Act:

- The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

	Last CCA	Present CCA (Re Apply)
Trade Effluent	Nil.	Nil.
Sewage	Nil	Nil

- Trade Effluent Treatment and Disposal:** The applicant shall operate Effluent Treatment Plant consisting of primary, secondary and tertiary treatment as is required with reference to influent quantity and quality.

*In case of stoppage of functioning of ETP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.*

- The treated effluent shall be recycled to the maximum extent to achieve Zero Discharge and remaining treated effluent shall be sent to CETP/reuse in gardening and the same has to be maintained continuously so as to achieve the quality of the treated effluent to the following general and specific standards as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 and applicable to the unit from time-to-time :-

Anx-90



REGIONAL OFFICE  
Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board  
AWAS VIKAS COLY, HALDWANI, NAINITAL (Uttarakhand)

Phone : 05946-221532, Fax : 05946-225618 Web : [www.ueppcb.uk.gov.in](http://www.ueppcb.uk.gov.in), E-mail : [ro.haldwani@gmail.com](mailto:ro.haldwani@gmail.com)

UEPPCB/ROH/Con- **A-16 12018 / 2216-613**

Date: **14/02/18**

TO:

M/s Ashok Stone Crusher,  
Plot no. Vill- Chorpani,  
Po-Ramnagar, Distt-Nainital.

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh/Renewal/Reapplication/Expansion/) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981" and Authorization under "Rule-5" of the "Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable (to be referred hereinafter as Water Act, Air Act and HW Rules respectively).

PCB ID - 13685 Inward ID - 65028  
CCA (Fresh/ Renewal/ Reapplication/ Expansion/Amendment)  
Consent No. AWH-17961 / **A-16/10/1275**

CCA is hereby granted M/s Ashok Stone Crusher, Plot no. Vill- Chorpani, Po-Ramnagar, Distt-Nainital. subject to the provisions of the Water Act, Air Act and HW Rules and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA is granted from 05.07.2017 to 31.03.2018 and valid for manufacturing of following products with Capital Investment / Net Assets Values under Rs. 01Crore to 05 crs Slab.

S. No.	Last CCA or CTE		Present CCA (Fresh/ Renewal/ Reapplication/ Expansion/Amendment)	
	Product	Quantity (Per Month)	Product	Quantity (Per Month)
1.	Stone Grits Various Size	30000 Mt.	Stone Grits Various Size	30000 Mt.

2. Specific Conditions under Water Act:


(iii) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

	Last CCA or CTE	Present CCA (Fresh/ Renewal/ Reapplication/ Expansion/Amendment)
Trade Effluent	NIL	NIL
Sewage	Nil	Nil

- (iv) Sewage Treatment and Disposal: The applicant shall provide comprehensive STP/Septic Tank as is required with reference to influent quantity and quality.

Compulsory documents to be submitted by the Industry/Unit :-

- (i) Annual return in Form-4 and Waste Disposal Manifest in Form-13 under HW Rules and Third Party Audit Report.
  - (ii) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.
  - (iii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.
7. Unit has to apply for renewal of CCA well in advance of 60 days of expiry of this CCA.
8. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.
9. Unit has to comply with the other general conditions as annexed herewith. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and HW Rules will results in legal action under the aforesaid Acts and Rules.



Regional Officer

Copy to: C.E.O. Environment Engineer, Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board, Dehradun  
for kind information and compliance of the same.



Regional Officer

## REGIONAL OFFICE

## Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board

AWAS VIKAS COLY, HALDWANI, NAINITAL (Uttarakhand)

Anx-10

Phone : 05946-221512, Fax : 05946-225618 Web : www.ueppcb.uk.gov.in E-mail : ro.haldwani@gmail.com

UEPPCB/ROH/Con- A-118 /2019 / 2272-650

Date: 07/01/19

To,

M/s Ashok Stone Crusher,  
Plot no. Vill- Chorpani,  
Po-Ramnagar, Distt-Nainital.

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & Authorization) (Fresh/Renewal/Reapplication/Expansion/) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981" and Authorization under "Rule-5" of the "Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable (to be referred hereinafter as Water Act, Air Act and HW Rule: respectively).

PCB ID - 13685	Inward ID - 238836
CCA (Fresh/ Renewal/ Reapplication/ Expansion/Amendment)	
Consent No. AWH-19467 / A-118/18/03/1975	

CCA is hereby granted M/s Ashok Stone Crusher, Plot no. Vill- Chorpani, Po-Ramnagar, Distt-Nainital. subject to the provisions of the Water Act, Air Act and HW Rules and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions:

1. This CCA is granted from 02.07.2018 to 31.03.2021 and valid for manufacturing of following products with Capital Investment / Net Assets Values under Rs. 01Crore to 05 crs Slab.

S. No.	Last CCA or CTE		Present CCA (Fresh/ Renewal/ Reapplication/ Expansion/Amendment)	
	Product	Quantity (Per Month)	Product	Quantity (Per Month)
1.	Stone Grits Various Size	30000 Mt.	Stone Grits Various Size	30000 Mt.

2. Specific Conditions under Water Act:

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

	Last CCA or CTE	Present CCA (Fresh/ Renewal/ Reapplication/ Expansion/Amendment)
Trade Effluent	NIL	NIL
Sewage	Nil	Nil

- (ii) **Sewage Treatment and Disposal:** The applicant shall provide comprehensive STP/Septic Tank as is required with reference to influent quantity and quality.

भारतीय स्टेट बैंक  
 जारी करने वाली State Bank of India  
 Issuing Branch: RAMNAGAR (DIST. NAINITAL)  
 कोड क्रं / CODE No: 00701  
 Tel No. 05947-251337

मांगड्राफ्ट  
 DEMAND DRAFT

Key: PEHFON  
 Sr. No: 213376

0	8	0	7	2	0	2	1
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

मांगे जानेपर UEPPCB \*\*\*\*\*

ON DEMAND PAY

या उनके आदेश पर

रुपये RUPEES Nine Thousand One Hundred Only

OR ORDER

अदा करें ₹ 9100.00

IOI 000531957921  
 Name of Applicant

Key: PEHFON Sr. No: 213376  
 BR PARKING A/C WITH INB-00701 SBI

AMOUNT BELOW ₹ 10000/-  
 SBI सोनाम आर्या  
 SONAM ARYA  
 S.S.No.A-8949  
 PF No.5521157

मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED

भारतीय स्टेट बैंक  
 STATE BANK OF INDIA  
 अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH: HALDWANI  
 कोड क्रं. / CODE No: 00646

अधिकृत हस्ताक्षर  
 AUTHORIZED SIGNATORY

शाखा प्रबंधक  
 BRANCH MANAGER

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध  
 VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध  
 VALID FOR 3 MONTHS ONLY

₹ 1,50,000/- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।  
 INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

⑈957921⑈ 000002000⑈ 000531⑈ 16

9
8
7
6
5
4
3
2
1

## Uttarakhand Pollution Control Board

Receipt No. 984871768  
 Depositor Name  
 Bank Name.  
 Bank Id.  
 Application No.  
 Name and Address of Industry  
 Name of Regional Office  
 Applied For  
 Payment Date  
 Amount Paid (Rs.)  
 Transaction Status  
 Receipt No. 978135790  
 Depositor Name  
 Bank Name.  
 Bank Id.  
 Application No.  
 Name and Address of Industry  
 Name of Regional Office  
 Applied For  
 Payment Date  
 Amount Paid (Rs.)  
 Transaction Status  
 Total fee paid (Rs.)

Date : 09-11-2021

Ashok Kumar Agrawal

NA

1042246

Ashok Stone Crusher, Village Chorpani, Ramnagar, Distt.  
Nainital Nainital, Ramnagar, Nainital

Haldwani RO

CTO - both - reNew

23-10-2021

## Payment Details

78000.0

Successfully Completed

Date : 09-11-2021

Ashok Kumar Agrawal

NA

1042246

Ashok Stone Crusher, Village Chorpani, Ramnagar, Distt.  
Nainital Nainital, Ramnagar, Nainital

Haldwani RO

CTO - both - reNew

10-02-2021

## Payment Details


26000.0

Successfully Completed

104000.0

23/10/2021, 15:24

SPCB



**Online Consent Management & Monitoring System**  
Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Government of India



DATE: 23-10-2021

**On-line Payment Receipt**

Receipt No.  
Depositor Name  
Bank ID  
Bank Name  
Application No.  
Name and Address of Industry  
Name of Regional Office  
Applied For  
Applicant Date  
CTO (No.)  
Total Amount Paid (Rs.)  
Transaction Status

21102310699065  
Ashok Kumar Agrawal  
NA  
1042240  
Ashok Stone Crusher, Village Charpani, Damnagar, Distt. Hanamal Taluk, Ramnagar,  
Maujital  
Hekdwan RD  
CTO - both - refer  
Sat Oct 23 15:24:51 IST 2021  
Payment Details  
78000.0  
78012.00

**ASHOK STONE CRUSHER**

Manufacturers of : STONE GRITTS, STONE CHIPS

V. CHORPANI, RAMNAGAR (NAINITAL)

Ref. No. ....

Date 09/07/2021

सेवा में,

क्षेत्रीय कार्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
हल्द्वानीविषय:- हमारी इकाई अशोक स्टोन केशर की मॉनिटरिंग के सम्बन्ध में।  
महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि हमारी यूनिट अशोक स्टोन केशर ग्राम चोरपानी, रामनगर जिला नैनीताल की मॉनिटरिंग होनी है जिसके लिए मॉनिटरिंग फिस का ड्राफ्ट, रू0 9100, ड्राफ्ट संख्या 957921 दिनांक 08-07-2021 पत्र के साथ सलंगन कर रहे है।

कृपया हमारी यूनिट की मॉनिटरिंग कराने की कृपा करें।

धन्यवाद

प्रार्थी

अशोक स्टोन केशर  
ग्राम चोरपानी रामनगर  
नैनीताल



Uttarakhand Pollution Control Board  
Regional Office, Haldwani,  
Awasthi Vikas Colony Nainital Road,  
Haldwani (Nainital), Uttarakhand 263139  
phone no: (05946)-221532, 225618

Anx-12

### Provisional Consent Order (CCA)

Application No-1042246 Dated: 30/10/2021

Ref No-5140/UEPPCB/Haldwani RO/Nainital/CTO/1042246

Valid upto: 31/03/2026

Besides streamlining and simplifying of regulatory regime, Uttarakhand Pollution Control Board has taken initiative in form of introduction of Consolidated Consent and Authorization (CC&A) which provides for a one shot application and clearance of the consents under Water Act, Air Act and Authorization under Hazardous Wastes Rules for a period of 5 years. Consolidated Consent and Authorisation Board issues consolidated consent and Authorization to an industrial unit for operation of plant/carrying out industrial activity specifying following conditions.

#### Consolidated Consent and Authorisation

In exercise of the power conferred under section-25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act-1974, under section-21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act-1981

and Authorization under rule 3(c) & 5(5) of the Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules 2008 framed under the E(P) Act-1986.

And whereas Board has received consolidated Application No. (CTO: CCA-Renew) 1042246 and Dated 23/10/2021 for the consolidated consent and authorization (CC&A) of this Board under the provisions / rules of the aforesaid Acts Consent & Authorization is hereby granted as under.

**CONSENT AND AUTHORISATION :** (under the provisions / rules of the aforesaid environmental acts)

To

M/s Ashok Stone Crusher

Village Chorpani, Ramnagar, Distt. Nainital Nainital

Tehsil: Ramnagar

District: Nainital

Phone No: 9997911155

Consent Order No:

1042246 Renew

Valid upto: 31/03/2026

All Conditions under the AIR ACT-1981 WATER ACT-1974 HAZARDOUS ACT-2008 shall be Applicable to you as mentioned in the detailed Consent Order \*\*\*

#### GENERAL CONDITIONS :-

- This order is provisional order and detailed order is considered as final.
- All the conditions & provisions under the Water Act 1974, the Air Act 1981 and the Environment (Protection) Act 1986 and the rules made there under shall be complied with
- All the conditions & provisions under the Hazardous Waste (Management, Handling and Trans boundary Movement) Rules 2008 as amended shall be complied
- The applicant shall provide portholes, ladder, platform etc at chimney(s) for monitoring the air emissions and the same shall be open for inspection to/and for use of Board's staff. The chimney(s) vents attached to various sources of emission shall be designed by numbers such as S-1, S-2, etc. and these shall be painted/ displayed to facilitate identification.
- The industry shall take adequate measures for control of noise levels from its own sources within the premises so as to maintain ambient air quality standards in respect of noise to less than 75dB(A) during day time and 70dB(A) during night time. Daytime is reckoned in between 6 a.m. and 10 p.m. and nighttime is

This is computer generated order. Signature is not required.

reckoned between 10 p.m. and 6 a.m.

- f) In case of change of ownership/management the name and address of the new owners/ partners/ directors/ proprietor or equipment or working conditions as mentioned in the consents form / order should immediately be intimated to the Board.
- g) Industry shall have to display data outside the main factory gate with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being handled in the plant, including waste water and air emissions and solid hazardous wastes generated within the factory premises.
- h) The CCA shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the Uttarakhand Pollution Control Board.
- i) Any unauthorized change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the CCA order by CCA holder shall constitute a breach of this CCA.
- j) Adequate plantation shall be carried out all along the periphery of the industrial premises in such a way that the density of plantation is atleast 1000 trees per acre of land and a green belt of 5 meters width is developed.
- K) The applicant shall have to submit the returns in prescribed form regarding water consumption and shall have to make payment of water cess to the Board under the Water Cess Act- 1977.

**\*\*\* Note : ACT-Specific, Industry-specific, Area-specific Conditions alongwith Product,Waste water effluent details shall be precisely mentioned in the DETAILED Consent Order.**  
**\*\*\* Note :This is only provisional communication. The final Consent/Authorization in hard copy with duly signed by competent authority shall the final and valid Consent/Authorization.**

For and on behalf of  
Uttarakhand Pollution Control Board

Riw

RO Haldwani  
Dr. R.K. Chaturvedi  
Mobile no-9411101556



REGIONAL OFFICE  
UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD

Awasth Vikas Colony, Haldwani, Nainital

Phone : 05946-221532, Fax : 05946-225618 Web : www.uppcb.uk.gov.in E-mail : ro.haldwani@gmail.com

UKPCB/HO/Con-A-16 /2021 /1613-690

Date: 06/11/21

To,

M/s Ashok Stone Crusher,  
Vill- Chorpani, Ramnagar  
Dist: Nainital

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent authorization) (Fresh/Renewal/Reapplication/Expansion/) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981" and Authorization under "Rule-5" of the "Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable (to be referred hereinafter as Water Act, Air Act and HW Rules respectively).

Consent No- 1042246 /A-16/21/01/1475 Date- 30/10/2021

This CCA is hereby granted to M/s Ashok Stone Crusher, Vill- Chorpani, Ramnagar, Dist- Nainital, subject to the provisions of the Water Act, Air Act and HW Rules and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. CCA is granted for a period upto 31/10/2026 and valid for manufacturing of following products with Capital Investment / Net Assets Values under Slab 345.00 Lakhs

S. No.	Last CCA or CTE		Present CCA (Renewal)	
	Product	Quantity (Per Month)	Product	Quantity (Per Month)
1.	Stone Grits Various Size	30000 MT	Stone Grits Various Size	30000 MT

2. Specific Conditions under Water Act:

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

	Last CCA	Present CCA (Renewal)
Trade Effluent	NIL	NIL
Sewage	NIL	0.5 (Zero Discharge)

(ii) Sewage Treatment and Disposal: The applicant shall provide comprehensive STP/Septic Tank as is required with reference to influent quantity and quality.

3. Conditions under Air Act:-

(i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as is required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards

S. No	Stack attached with	Stack height (Mt)	Type of Fuel	Fuel Quantity	Emission Control Equipment	Emission standards not to exceed
1	DG Set 180 KVA	3.0	HSD	10 Ltr/Hr	Acoustic Enclosure with Stack	As per E(P)Act
Ambient Air Quality						
1.	Suspended Particulate matter (SPM)			Not to exceed		600µg/m <sup>3</sup>

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(ii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

*File*

Standards for Night Time in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time
	75	70	65	55	55	45	50	40

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 5.00 a.m.

#### 4. Conditions under HW Rules:-

- I. Number of authorization and date of issue :
- II. The Factory Manager of M/s Ashok Stone Crusher, Vill- Chorpani, Ramnagar, Dist- Nainital. is hereby granted an authorization to operate a facility for collection and storage of Hazardous wastes.
- III. The authorization is granted to operate a facility for generation, collection and storage of hazardous wastes within factory premises for following category of wastes.
- IV. The authorization shall be in force for a period upto 31.10.2026.
- V. The authorization is subject to the conditions stated below and such conditions as may be specified in the rules for the time being in force under Environment (Protection) Act, 1986.

S.No.	Category (Schedule-I & Schedule-II)	Quantity of Waste for which authorization is being issued (MTA)	Mode of Disposal
I	Schedule-I 5.1	0.010	Recycable

#### Terms and conditions of authorization:

- I. The authorization shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, and the rules made there under.
  - II. The authorization and its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the SPCB/PCC.
  - III. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous wastes without obtaining prior permission of the SPCB/PCC.
  - IV. Any unauthorized changes in personnel, equipment as working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
  - V. It is the duty of the authorized person to take prior permission of the SPCB/PCC to close down the facility.
  - VI. An application for the renewal of an authorization shall be made as laid down under these rules.
  - VII. Any other conditions for compliance as per the Guidelines issued by the MoEF or CPCB.
5. This CCA is valid only for manufacturing process of Different type of Stone Grits & Sand 3000MT/Month..
  6. Compulsory documents to be submitted by the Industry/ Unit:-
    - (i) Annual return in Form-4 and Waste Disposal Manifest in Form-10 under HW Rules and Third Party Audit Report.
    - (ii) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.
    - (iii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.
  7. Unit has to apply for renewal of CCA well in advance of 60 days of expiry of this CCA.
  8. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.
  9. Unit has to comply with the other general conditions as annexed herewith. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and HW Rules will results in legal action under the aforesaid Acts and Rules.

*Piv*  
Regional Officer(i/c)

Copy to: Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun for kind information please.

Regional Officer(i/c)

## Annexure


## Specific Conditions:

1. The Unit shall Strictly comply with the provisions of Water Act, Air & E(P) Act and Rules/Notification made thereunder.
2. This CCA valid for crushing of raw material (River Bed Materials) obtained from legitimate sources only.
3. The industry shall take adequate measures to control of noise from its own source so as to comply with the standards as may be applicable.
4. The unit shall not increase the production capacity as given in this CCA without prior Consent of the Board.
5. The Industry Strictly Adhere with the specific and general conditions issued with CCA orders. Any violation of stipulated conditions may attract legal action under the provisions of Water Act, Air Act and Environment (Protection) Act and Rules made thereunder.
6. The unit shall ensure all measures for pollution control as specified under the Environment (Protection) Act, 1986 and Rules made there under. Unit shall comply with the standards stipulated for stone crushing Units under the Environment (Protection) Rules, 1986 as amended time to time, so that ambient air quality not exceed prescribed limit at any time.
7. Unit shall provide wind breaking wall along the periphery of the premises.
8. Unit shall construct metallic road within premises.
9. Unit shall provide dust suppression/containment system on all dust emitting sources/equipment.
10. Unit shall do regular wetting of the ground within premises.
11. Stone crusher shall be established inside the covered shed.
12. Ducting system with ID fan to be provided for suction of dust and to be scrubbed with water. The water from scrubbing will be channelizing to settling tank. The water will be re-used for scrubbing.
13. The industry shall ensure interlocking of air pollution control devices and production process.
14. The industry shall take adequate measures to control of noise from its own source so as to comply with the standard as may be applicable.
15. The Stone Crushing units/Screening Plants/Pulvisers shall strictly follow the provisions of the Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Pulviser Plants Hot Mix Plant, Ready mix Plant Anugya Policy, 2020 promulgated by the State Government and shall obtain necessary permission from the competent authority with in stipulated time specified in Anugya policy-2020.
16. The Industry shall ensure all safety measures and shall undertake periodical assessment by the competent authority.
17. The unit shall not operate during night hours as defined under Noise Rules-2000.
18. Unit shall comply with Directions/Orders/Guidelines issued by Hon'ble Courts/Tribunal and/or Competent Authority from time to time in reference to Stone Crusher.

## General Conditions:

1. The applicant shall get analyze the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UKPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If, at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
4. The applicant shall maintain good housekeeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak proof.
5. The industry shall provide uninterrupted entry to Pollution Control equipment for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control measures.
6. The industry shall provide "Inspection Book" at the time of inspection to the Board's officials.
7. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failures of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
8. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
9. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operations of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
10. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission points.
11. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.

12. The person authorized change shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous waste without obtaining prior permissions of the Board.
13. Any unauthorized change in personnel, equipment as working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization
14. It is the duty of the authorized person to take prior permission of the Board to close down the facility.
15. The authorization is valid for temporary storage of Hazardous waste within premises only.
16. The authorization agency shall ensure that on-line data with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being used in the plant as well as air emission and waste generated within premises is displayed on Display Board of size 6x4 feet outside the main factory gate within premises.
17. It is duty of the authorized person to take prior permission of this Board to closed and cleanup the facility for treatment, storage and disposal of hazardous waste.
18. Before the hazardous waste is stored or dumped in the facility, applicant must conduct a detailed physical and chemical analysis of hazardous waste sample and report to the Board.
19. The Storage area should be fenced properly and Sign/Notice Board indicating 'Danger' and 'Hazardous' Shall be displayed at appropriate position both in Hindi and English.
20. The industry shall store used oil/spent oil waste in sealed drums placed on impervious floor under covered shed. Hazardous waste if required shall be sold only to Registered Recyclers/Re-processors.
21. In case of any transportation of hazardous waste, the details in Form-10 of the Hazardous & Others Wastes Rules,2016 shall be submitted to the Board.

  
Regional Officer(i/c)

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या : /स्टो0क्रे0नवी0/खनन/भू0खनि0ई0/चम्पावत/2021-22,

दिनांक 30 सितम्बर 2021

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1480/VII-A-1/2021/68 रिट/टीसी-1, दिनांक 8 सितम्बर 2021 के द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2020 के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 1 के उप बिन्दु 2 में संशोधन किया गया है कि:- स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नवीनीकरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी। परन्तु वर्तमान में कोविड-19 (Covid-19) के महामारी के प्रभाव एवं संक्रमण की सम्भावनाओं एवं Ease of Doing Business के दृष्टिगत पूर्व से स्वीकृत तथा संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण (मा0 न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश द्वारा बन्द या सीज की गयी इकाईयों को छोड़कर) आवेदक इकाई द्वारा नवीनीकरण शुल्क जमा किये जाने एवं आवेदन पत्र के साथ नीति में निर्धारित मानकों/प्रावधानों को पूर्ण किये जाने से सम्बन्धित शपथ पत्र के द्वारा स्वप्रमाणपन (Self Certification) प्रस्तुत किये जाने पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण/जाँच करने के उपरान्त आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकरण किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह कि यह परन्तुक उक्त नीति प्रख्यापित होने की तिथि से 01 माह तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा। शासन के पत्र संख्या 1551/VII-A-1/2021-68 रिट/08 टीसी-1, दिनांक 08 सितम्बर 2021 के द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2020 में उक्तानुसार किये गये प्रावधान के सफल एवं सुचारु क्रियान्वयन हेतु श्री राजपाल लेघा, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद नैनीताल को एतद्वारा नोडल अधिकारी नामित किया गया है। शासन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के क्रम में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या 2055/खनन/भू0खनि0ई0/2021-22, दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों तथा प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण आदेश नीतिगत समस्त नियमों का पालन कराते हुए नवीनीकरण आदेश निर्गत किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी को एतद्वारा अधिकृत किया गया है।

नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून द्वारा पत्र संख्या 69/भू0खनि0ई0/स्टो0क्रे0नवी0/नैनीताल/2021-22, दिनांक 28 सितम्बर 2021 के द्वारा मैसर्स अशोक स्टोन क्रेशर, ग्राम चोरपानी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल के पक्ष में ग्राम चोरपानी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 0.812 है0 भूमि में पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर प्लांट की अनुज्ञा का नवीनीकरण मय भण्डारण अनुज्ञा सहित दिनांक 19 नवम्बर 2021 आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

मैसर्स अशोक स्टोन क्रेशर, ग्राम चोरपानी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल के पक्ष में ग्राम चोरपानी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल में उत्तर प्रदेश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक संख्या जी0-873/NOC-398/86, दिनांक 05 अगस्त 1986 द्वारा 100 टन प्रतिदिन क्षमता के स्टोन क्रेशर संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गयी। कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र संख्या 1518/30 जी0सी0/2016-17, दिनांक 31 मार्च 2017 के द्वारा प्लांट स्वामी के पक्ष में ग्राम चोरपानी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल के खाता सं0 30 के खसरा सं0 212 मि0 रकबा 0.812 है0 भूमि में कुल 59,580 घनमीटर प्रतिवर्ष उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञापति 05 वर्ष की अवधि या संचालन/अनुज्ञा की अवधि तक आदेश में वर्णित शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है।

वर्तमान में प्रचलित स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर प्लांट की क्रसिंग क्षमता 80 टन प्रति घंटा आंगणित होती है। उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडी मिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति-2020 के अनुसार

प्लांट की वास्तविक क्षमता का आंकलन नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या-9 में उल्लिखित गठित समिति से कराये जाने के उपरान्त ही प्लांट की वास्तविक क्षमता निर्धारित की जायेगी।

नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून के पत्र संख्या 69/भू0खनि0ई0/स्टो0क्रे0नवी0/नैनीताल/2021-22, दिनांक 28 सितम्बर 2021 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1480/VII-A-1/2021/68 रिट/टीसी-1, दिनांक 8 सितम्बर 2021 के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 1 उप बिन्दु 2 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत मैसर्स अशोक स्टोन क्रेशर, ग्राम चोरपानी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल के पक्ष में ग्राम चोरपानी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 0.812 है0 भूमि में पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर की अनुज्ञा का मय भण्डारण अनुज्ञा सहित दिनांक 19 नवम्बर 2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि के लिए निम्न शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया जाता है:-

शर्तें :

1. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 "स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें" में उल्लिखित समस्त शर्तों (बिन्दु संख्या 1 से 14 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा ई-रवन्ना पोर्टल बन्द किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
2. स्टोन क्रेशर नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 (15) की अनुपालना मा0 न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 1645/एम0एस0/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
3. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 (16) के अनुसार प्लांट संचालन से पूर्व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to Operate लिया जाना अपरिहार्य होगा।
4. नीति के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 1 (1) के अनुसार अवशेष शुल्क रू0 19,80,000/- (रुपये उन्नीस लाख अस्सी हजार मात्र) नवीनीकरण आदेश के उपरान्त तथा ई-रवन्ना पोर्टल में अपलोड/अपडेट किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाना होगा।
5. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 9 की अनुपालना मा0 न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 1645/एम0एस0/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
6. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (क) के अनुसार स्टोन क्रेशर संचालक को क्रशड मैटेरियल (ग्रिट एवं डस्ट) की मात्रा पर रू0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा क्रेशर प्लांट में छाने गये उपखनिज (बालू, बजरी) की मात्रा पर रू0 0.25 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
7. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (ख) के अनुसार स्टोन क्रेशर के स्वामी के द्वारा प्लान्ट के प्रवेश में व निकासी गेटों पर कम्प्यूटराईज्ड धर्मकाटा एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिकॉर्डिंग की सी0डी0 प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तदनुसार निदेशक को सूचित किया जायेगा।
8. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (ग) के अनुसार भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाइश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है, तो नियमावली के नियम 13(5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (घ) के अनुसार स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क जमा न करने की दशा में खनिजों के परिवहन हेतु संबंधित जिला खान अधिकारी द्वारा ई-प्रपत्र "जे" जारी नहीं किया जायेगा।

4

10. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 6 (ड.) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लान्ट द्वारा वन क्षेत्र से क्रय किये गये उपखनिज को प्लान्ट में Process किये जाने के उपरान्त crushed material/ Screened material का स्वरूप परिवर्तन होने के फलस्वरूप Processed material वन उपज की श्रेणी में नहीं आयेगा।
11. वर्तमान में प्रचलित स्टोन क्रेशर नीति 2020 के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर प्लांट की क्रसिंग क्षमता 80 टन प्रति घंटा तथा प्लांट संचालन की अवधि औसतन 10 घंटा प्रतिदिन के आधार पर वर्षाकाल (जुलाई-सितम्बर) की अवधि (90 दिन) हेतु कच्चे माल/आर0बी0एम0 की कुल मात्रा अर्थात् स्टोन क्रेशर हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता  $90 \times 80 \times 10 = 72,000$  टन तथा वर्षाकाल से भिन्न अवधि अर्थात् (अक्टूबर से जून) तक की अवधि हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता  $45 \times 80 \times 10 = 36,000$  टन होती है तथा वर्ष में 2,88,000 टन कच्चे माल की आवश्यकता होगी।
12. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2020 के अनुसार प्लांट की वास्तविक क्षमता का आंकलन नीति के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 9 में गठित समिति से कराये जाने के उपरान्त ही प्लांट की वास्तविक क्षमता निर्धारित की जा सकेगी।
13. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 3 (1) के अनुसार प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।
14. यदि प्लांट स्वामी के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्लांट स्वामी की होगी तथा गलत अभिलेख पाये जाने की पुष्टि होने की दशा में प्लांट के नवीनीकरण की अनुज्ञा निरस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
15. प्लांट स्वामी के द्वारा उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 906/VII-I/2020/158 ख-04 टीसी, दिनांक 15 जुलाई 2020 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 212/2019 "त्रिलोक चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
17. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(एस0एल0 पैट्रिक)  
अपर निदेशक।

संख्या: 2266 / स्टो0क्रे0नवी0 / खनन / भू0खनि0ई0 / पि0 / 2021-22, तद्दिनांकित।  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्बन्धित मानकों को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्तें निर्धारित हैं, उनका अनुपालन Consent to Operate देने से पूर्व कराने का कष्ट करें।
5. उपनिदेशक (खनन)/नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
6. मैसर्स अशोक स्टोन क्रेशर, ग्राम चोरपानी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल।

30/9/2021  
(एस0एल0 पैट्रिक)  
अपर निदेशक।

उत्तराखण्ड शासन  
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1  
संख्या-1924/VII-A-1/2021/03(101)/2021  
देहरादून: दिनांक: 11 नवम्बर, 2021

कार्यालय संख्या-1875/VII-A-1/2021/03(101)/2021, दिनांक 11 नवम्बर, 2021 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढवाल, नैनीताल/पौड़ी, उत्तराखण्ड।
4. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग-4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(लक्ष्मण सिंह)

संयुक्त सचिव।

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, खनिज विकास एवं राजस्व हित में उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 को अधिक्रमित करते हुए निम्नवत् उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात :-

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 है।<br>(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।  |
| परिभाषाएं                 | 2. (1) इस नीति में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—<br>(क) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;<br>(ख) "कलक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भार साधक अधिकारी अभिप्रेत है;<br>(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;<br>(घ) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारधारक अधिकारी अभिप्रेत है;<br>(ङ) "स्थानीय अधिकारी" से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो क्रमशः नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का वैध रूप से हकदार है या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा उनको न्यस्त किया गया है;<br>(च) "व्यक्ति" से भारतीय आयकर अधिनियम में यथापरिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है;<br>(छ) "पर्वतीय क्षेत्र" के अन्तर्गत जिला उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग को छोड़कर), अल्मोड़ा, चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग को छोड़कर) नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) सम्मिलित है;<br>(ज) "मैदानी क्षेत्र" के अन्तर्गत जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), देहरादून (तहसील ऋषिकेश, |

डोईवाग, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भाग, सम्मिलित है;

- (झ) "खनन सत्र" से 01 अक्टूबर से आगामी 30 जून तक अभिप्रेत है;
- (ञ) "आबादी" से आवेदन की तिथि को कम से कम 10 परिवारों का समूह निवासरत हों, आबादी क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (ट) "On site स्थापना" से नदी/गधेरे में स्वीकृत चुगान पट्टा/अनुज्ञा क्षेत्र में मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापना अभिप्रेत है;
- (ठ) "नदी" (Perennial river) से ऐसे नदी, जिसमें जल का प्रवाह वर्षभर निरन्तर होता रहता अभिप्रेत है;
- (ड) बरसाती नदी, नाला एवं गधेरा (Non-Perennial river) से ऐसे जल प्रवाह से है, जिसमें जल का प्रवाह केवल वर्षाकाल में ही होता है, अभिप्रेत है;
- (ढ) "नियमावली" से यथाप्रचलित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली अभिप्रेत है;
- (ण) "नदी के किनारे" से उच्चतम बाढ़ स्तर "Highest flood level" अभिप्रेत है;
- (त) "महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी" से जिला स्तर पर तैनात सहायक भूवैज्ञानिक/खान अधिकारी अथवा उपनिदेशक, भूवैज्ञानिक/ज्येष्ठ खान अधिकारी से अभिप्रेत है;
- (थ) "महानिदेशक" से महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
- (द) "निदेशक" से निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
- (ध) "राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना" से राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग निर्माण, जल विद्युत परियोजना, रेलवे परियोजना आदि अभिप्रेत है;
- (न) "राष्ट्रीय/राज्य महत्व की कार्यदायी संस्था" से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बी.आर.ओ., रेल विकास निगम लि., टी.एच.डी.सी.लि., एन.एच. पी.सी., एन.टी.पी.सी., सी.पी.डब्ल्यू.डी, पी.डब्ल्यू.डी., यू.जे.वी.एन.एल. आदि अभिप्रेत है;
- (2) "शब्द और पद", जो इस नीति में परिभाषित नहीं है, परन्तु उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे, जो उनके लिये उक्त अधिनियम में दिये गये हैं। ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण यदि आवश्यक हो, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा जारी किया जायेगा।

### अध्याय-1. स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट

स्टोन क्रेशर  
प्लांट/स्क्रीनिंग  
प्लांट हेतु  
आवेदन

3. (i)-स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन अनुसूची-1 में उल्लिखित प्रपत्र पर वर्णित अभिलेखों एवं आवेदन शुल्क सहित छः प्रतियों में जिला स्तरीय भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण करने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।

आवेदन में प्लान्ट एवं भण्डारण हेतु अधिकृत परामर्शदाता (Authorized consultant)/आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें निर्धारित मानकों के अनुरूप समस्त आवश्यक संरचनाओं यथा हरित पट्टिका, आवागमन हेतु मार्ग, कार्यालय, धर्मकांटा व भण्डारण स्थल आदि के क्षेत्रफल को मानचित्र पर प्रदर्शित किया गया हो, मानचित्र सहित प्रस्तुत की जायेगी। भण्डारण हेतु मानचित्र पर प्रदर्शित

4

क्षेत्रफल में एक सप्ताह में भण्डारित की जाने वाली अधिकतम उपखनिज की मात्रा का भी उल्लेख किया जायेगा।

आवेदन शुल्क 4. स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना हेतु आवेदन शुल्क के रूप में रु. 10,000/- विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-Refundable) होगा।

आवेदन पर आपत्तियों का निराकरण 5. आवेदन प्राप्त होने पर 03 दिन के अन्तर्गत महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थानीय समाचार पत्र, जिसका क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार हो, में विज्ञप्ति जन-साधारण की सूचना हेतु आवेदक के व्यय पर प्रकाशित की जायेगी। विज्ञप्ति में आवेदक इकाई का नाम, पता व स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित होगा। विज्ञप्ति पर यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि, जो प्रस्तावित प्लांट के निर्धारित दूरी के अन्तर्गत आते हों तथा प्रस्तावित इकाई की स्थापना/संचालन से प्रभावित हों अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिन के अन्तर्गत जिलाधिकारी एवं महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी, को लिखित रूप में प्रस्तुत करेंगे।

यदि विज्ञप्ति के सापेक्ष आपत्ति प्राप्त होती है तो प्रस्तर-6 में गठित समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए संस्तुति सहित आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र मय गठित समिति की आख्या संस्तुति सहित महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को अग्रसारित किया जायेगा।

स्थल चयन समिति 6. आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त आवेदित स्थल की जांच निम्न समिति द्वारा की जायेगी :-

1. संबंधित क्षेत्र का उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
2. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी सदस्य जो कि सहायक वन संरक्षक से अन्यून स्तर का न हो
3. महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य सचिव

चयन समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण की वीडियोग्राफी भी आवश्यक रूप से की जायेगी तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप अनुसूची-2 में वीडियोग्राफी सहित जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

दूरी के मानक 7. स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लांट के आवेदन हेतु प्रस्तावित प्लांट के डक स्थल से क्षैतिज दूरी के निम्नलिखित मानक होंगे :-

क्र०सं०	स्थान	स्टोन क्रेशर	स्क्रीनिंग प्लांट
1.	सरकारी वन	100 मीटर	100 मीटर
2.	(क) जिला हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे से	01 किलोमीटर	01 किलोमीटर
	(ख) अन्य मैदानी क्षेत्रों हेतु नदी (Perennial river) के किनारे से	500 मी०	500 मी०
	(ग) Non-Perennial river (वर्षाती नदी, नाला, गधेरा) के किनारे से	50 मी०	50 मी०
3.	सार्वजनिक धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)	300 मीटर	300 मीटर
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि	300 मीटर	300 मीटर
5.	आबादी से दूरी	300 मीटर	300 मीटर

M

- (1) पर्वतीय क्षेत्र में स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना हेतु Non-Perennial river के किनारे से 25 मीटर, नदी (Perennial river) से दूरी 50 मीटर तथा सरकारी वन से दूरी 25 मीटर होगी। शेष दूरी के मानक मैदानी क्षेत्र के मानकों के समान होंगे।
- (2) गठित समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या में प्रस्तावित प्लांट के डक स्थल से निर्धारित क्षैतिज दूरी के मानकों के सापेक्ष मौके पर प्लांट की वास्तविक दूरी का उल्लेख किया जायेगा।
- (3) आबादि से 300 मी० के अन्तर्गत स्थित परिवारों/भूस्वामियों की एन०ओ०सी०/अनापत्ति अपरिहार्य होगी।
- (4) आवेदन के उपरान्त यदि कोई धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि), स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि एवं आवासीय भवन एवं परिवार का एक मकान/एक से अधिक परिवार का मकान आदि का निर्माण कराया जाता है, तो उनके द्वारा की गयी आपत्ति मान्य नहीं होगी और प्लान्ट के नवीनीकरण/स्वीकृति में भी कोई व्यवधान नहीं माना जायेगा।

पर्यावरणीय  
मानक

8. (1) स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट की अनुज्ञा के उपरान्त उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) तथा प्लान्ट संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।
- (2) पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०-55 दिनांक 09 जून 2021, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु संरक्षण अधिनियम, 1981, जल संरक्षण अधिनियम, 1974 एवं संगत नियमावलियों तथा मा० न्यायालयों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

प्लांट हेतु  
न्यूनतम  
क्षेत्रफल

9. इस नीति के प्रख्यापन के उपरान्त आवेदित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल, जो एक संहत खण्ड में हो, निम्नवत् होगा :-
  - (क) मैदानी क्षेत्र हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल:- 0.75 है० ।
  - (ख) पर्वतीय क्षेत्र हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल:- 0.10 है० ।
- (ग) प्लांट हेतु आवेदित क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार, प्लांट, हरित पट्टिका, धर्मकांटा, ऑफिस एवं वाहन के आवागमन हेतु मार्ग के क्षेत्रफल को छोड़ने के पश्चात् अवशेष क्षेत्र में भण्डारण की मात्रा का निर्धारण उपलब्ध/आवेदित क्षेत्रफल के अनुसार किया जायेगा।
- (घ) प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भण्डारण स्थल में एक समय में प्लांट की वार्षिक कशिंग क्षमता की 1.5 गुना से अधिक की मात्रा का भण्डारण नहीं कर सकेगा।
- (ङ) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की वार्षिक कशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता (टन में):- प्लांट की क्षमता (टन/घंटा) x स्टोन क्रेशर प्लांट/स्क्रीनिंग प्लांट संचालन की अवधि औसतन 10घंटा प्रतिदिन x 360 दिन।
- (च) कच्चा माल (आर०बी०एम०) एवं पक्का माल का भण्डारण औसतन 05 मीटर की ऊंचाई तक।

कच्चे माल की  
आपूर्ति एवं  
उत्पादित माल  
का विक्रय

10.

स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालकों द्वारा क्रय किये जाने वाले कच्चे माल के स्रोत को नोटराईज्ड शपथ-पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

उत्पादित माल का विक्रय विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।

प्लांट संचालक को उत्पादित माल के विक्रय की गयी मात्रा पर निर्धारित पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क जमा किया जाना आवश्यक होगा।

स्टोन क्रेशर एवं  
स्क्रीनिंग प्लान्ट  
की क्षमता

11. (1)

स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट की क्षमता टन प्रति घंटा में आवेदक द्वारा शपथ-पत्र पर घोषित की जायेगी।

(2)

क्षमता का परीक्षण/प्रमाणीकरण निम्न विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जायेगा :-

क- महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी

ख- विद्युत वितरण निगम का जिला स्तरीय अधिकारी

ग-लोक निर्माण विभाग या अन्य अभियांत्रिकी विभाग का यांत्रिक अभियन्ता (Mechanical Engineer)

समिति द्वारा प्लांट का संचालन कर प्लांट की क्रशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता का सत्यापन कर रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रस्तुत की जायेगी तथा महानिदेशक द्वारा तदनुसार प्लांट की क्रशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता का निर्धारण किया जायेगा।

विशेषज्ञ समिति, प्रत्येक दो वर्ष में या शिकायत प्राप्त होने या प्लांट स्वामी के अनुरोध पर, प्लांट की क्रशिंग/स्क्रीनिंग की क्षमता का परीक्षण कर आख्या जिलाधिकारी के माध्यम से महानिदेशक को उपलब्ध करायेगी।

अनुज्ञा शुल्क

12. स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु अनुज्ञा शुल्क निम्नवत् होगा :-

क्र० सं०	संयंत्र	पर्वतीय क्षेत्र हेतु अनुज्ञा शुल्क	मैदानी क्षेत्र हेतु अनुज्ञा शुल्क
1	स्टोन क्रेशर	रु० 10.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)	रु० 20.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)
		रु० 1.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	रु० 2.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)
2	स्क्रीनिंग प्लान्ट	रु० 2.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)	रु० 4.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)
		रु० 25,000.00 (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	रु० 1.00लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रति घण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)

अनुज्ञा शुल्क इकाई की स्वीकृति के उपरान्त ई-रवन्ना जारी होने से पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना आवश्यक होगा।

अनुज्ञा स्वीकृति

13.

(1) जिलाधिकारी एवं महानिदेशक की संस्तुति पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं उपखनिज भण्डारण हेतु अनुज्ञा 10 वर्ष की अवधि हेतु शासन द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

(2)

शासन द्वारा निजी नाप भूमि में व्यवसायिक प्रयोजन हेतु स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट तथा भण्डारण स्थल की स्वीकृति

सक्षम स्टाफ नियमित होने के उपरान्त जिलाधिकारी एवं महानिदेशक को प्रेषित की जायेगी। ऐसी अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त तथा स्थल पर प्लान्ट के स्थापना के उपरान्त उसका उपयोग प्रारम्भ होने पर उत्तर-प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त और समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा 143 के अधीन सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा इसे स्वतः दर्ज किया जायेगा।

स्टोन क्रेशर/  
स्क्रीनिंग प्लान्ट  
अनुज्ञा देने हेतु  
शर्तें

14. प्लान्ट संचालन हेतु निम्न शर्तों का अनुपालन किया जाना होगा :-

- (1) अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त 02 वर्ष के भीतर प्लान्ट की स्थापना/संचालित किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में प्लान्ट अनुज्ञा निरस्त कर दी जायेगी।
- (2) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।
- (3) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।
- (4) प्लान्ट के सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
- (5) प्लान्ट के चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्टी, जो न्यूनतम तीन परतों में हो, का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयंत्र चालू करने के 06 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी।
- (6) प्लान्ट में छेड़छाड़ विरोधी (Tamper Proof) इलैक्ट्रानिक मीटर लगाया जाना अपरिहार्य होगा। इलैक्ट्रानिक मीटर को प्रतिदिन प्रारम्भ (Start) और बन्द (Close) किया जायेगा तथा इसकी मीटर रीडिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा अभिलिखित की जायेगी।
- (7) समस्त वित्तीय लेखे दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली (Double Entry Accounting System) के अनुसार रखे जाने अनिवार्य होंगे।
- (8) खनिजों का रु. 2.00 लाख से अधिक धनराशि का क्रय एवं विक्रय की कार्यवाही बैंक/बैंक ड्राफ्ट/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से ही किया जायेगा तथा तत्संबंधी अभिलेखों को संरक्षित किया जायेगा।
- (9) प्लान्ट के प्रवेश व निकासी गेटों पर सी०सी०टी०वी० स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा और रिकार्डिंग को संरक्षित रखा जायेगा। औचक निरीक्षण के समय सक्षम अधिकारी द्वारा रिकार्डिंग मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यदि निरीक्षण के दौरान सी०सी०टी०वी० बन्द पाया जाता है या उपलब्ध करायी गयी सी.सी.टी. वी. रिकॉर्डिंग में कोई गड़बड़ी पायी जाती है, तो जिला स्तरीय खान अधिकारी द्वारा प्लांट स्वामी के ऊपर ₹ 250.00 प्रति मिनट की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जिसे प्लांट स्वामी द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।

विनियमितीकरण 15.

- (1) पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी, जिन्होंने अपने प्लांटों की क्षमता टन प्रतिघंटा में घोषित नहीं किया है अथवा विनियमितीकरण नहीं हुआ है, को इस नीति की घोषणा के 06 माह के भीतर अपने प्लांटों की क्षमता टन प्रति घंटा के अनुसार घोषित करना आवश्यक होगा।

घोषित प्लान्ट की क्षमता के अनुसार प्लान्ट स्वामी द्वारा विनियमितीकरण हेतु आवेदन निर्धारित विनियमितीकरण शुल्क के साथ महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्ताव का परीक्षणोपरान्त विनियमितीकरण जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक द्वारा किया जायेगा।

विनियमितीकरण शुल्क नीति में वर्णित अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत होगा, जिसका 01 प्रतिशत विनियमितीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय तथा शेष 99 प्रतिशत शासन द्वारा विनियमितीकरण आदेश जारी के उपरान्त तथा ई-रवन्ना पोर्टल में अपलोड किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में जमा करना होगा। निदेशालय द्वारा विनियमितीकरण आदेश जारी होने के उपरान्त यदि प्लान्ट स्वामी द्वारा विनियमितीकरण शुल्क की अवशेष 99 प्रतिशत धनराशि 01 माह के अन्तर्गत जमा नहीं करायी जाती है तो प्लान्ट का ई-रवन्ना पोर्टल बंद कर दिया जायेगा।

नीति की घोषणा के 06 माह बाद ई-प्रपत्र "जे" केवल विनियमित प्लान्ट को ही जारी किये जायेंगे।

**नवीनीकरण** 16. स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की अनुज्ञा का नवीनीकरण निम्नवत् किया जायेगा :-

- (1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लान्ट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण के नवीनीकरण हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र **अनुसूची-3** में वर्णित अभिलेखों सहित किया जायेगा।
- (2) नवीनीकरण प्रस्ताव/आवेदन का स्थलीय निरीक्षण महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी एवं पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा। समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण की वीडियोग्राफी सहित संस्तुति सहित आख्या **अनुसूची-4** जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति सहित आख्या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी। अनुज्ञा का नवीनीकरण आदेश, जिलाधिकारी तथा महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु भण्डारण सहित स्वीकृत किया जायेगा।
- (3) प्लान्ट के नवीनीकरण हेतु अनुज्ञा शुल्क नवीनीकरण की स्वीकृति होने के उपरान्त ई-रवन्ना जारी होने से पूर्व आवेदक द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना होगा, जो नीति में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा।
- (4) पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट को इस नीति में उल्लिखित दूरी एवं क्षेत्रफल के मानकों को छोड़कर अन्य मानकों को प्रत्येक दशा में छः माह के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

**नाम परिवर्तन/ भागीदारों के नाम परिवर्तन/ अनुज्ञा हस्तान्तरण:**

17. (1) स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटायें जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिलाधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की स्पष्ट संस्तुति पर शासन द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-

Y

1. स्टोन क्रेशर के नाम या भागीदारों का नाम परिवर्तन-प्रत्येक हेतु रू0 2.00लाख।
2. स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन-प्रत्येक हेतु रू0 1.00 लाख।

- प्लान्ट का नये स्थान पर स्थानान्तरण
18. पूर्व से स्वीकृत एवं स्थापित ऐसे प्लान्ट, जो वर्तमान नीति के मानक पूर्ण नहीं करते हैं या कतिपय अन्य कारणों से यदि प्लांट का स्थानान्तरण नये अन्यत्र स्थान पर करना चाहता है तथा प्रस्तावित नवीन स्थल नीति में निर्धारित क्षेत्रफल एवं दूरी के मानकों के अनुरूप है, तो प्लांट स्वामी के अनुरोध पत्र के क्रम में जिला स्तर पर गठित समिति की आख्या तथा जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर प्लांट के स्थानान्तरण हेतु अनुमति शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत अनुज्ञा की अवशेष अवधि हेतु प्रदान की जायेगी। इस हेतु प्लांट स्वामी को कोई शुल्क देय नहीं होगा।

### अध्याय-II. मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्वीकृति एवं नवीनीकरण

- आवेदन
19. प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-5 में वर्णित अभिलेखों एवं अध्याय-2 में निर्धारित आवेदन शुल्क सहित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त आवेदन पत्र अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।

- अनुज्ञा शुल्क
20. मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु अनुज्ञा शुल्क निम्नवत् होगा :-

- रू0 25,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा या उससे कम हेतु)  
 रू0 50,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा से अधिक एवं 25 टन प्रतिघंटा से कम हेतु)  
 रू0 1.00 लाख (क्षमता 25 से 50 टन प्रतिघंटा हेतु )  
 रू0 2.00 लाख (क्षमता 50 टन प्रतिघंटा से अधिक हेतु)

- आवेदन पर आपत्तियों का निराकरण
21. मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट के संचालन से पूर्व सम्बन्धित आवेदक के द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय की विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं को आपत्ति है, तो वे अपनी आपत्ति लिखित रूप में सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला स्तरीय कार्यालय में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर दर्ज कराये। यदि विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिन के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जायेगा कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है एवं तदनुसार जिलाधिकारी के द्वारा अनुमति के संबंध में गुण दोष के आधार पर निर्णय लेकर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी। यदि स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं से कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उस दशा में जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यक जांच कराते हुए गुण-दोष के आधार पर प्लान्ट के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

- स्थल चयन, मानक एवं अनुज्ञा स्वीकृति
22. (1) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापना के सम्बन्ध में आवेदित स्थल की जांच सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

- 627
- 44
- (2) मोबाईल केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु राजकीय निर्माण परियोजना प्रबंधक/राजकीय कार्यदायी संस्था के द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय को खनन सत्र में क्रशड किये जाने हेतु प्रस्तावित उपखनिज के श्रोत एवं मात्रा के सम्बन्ध में लिखित रूप से सूचित किया जायेगा।
  - (3) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्टों पर भी धूल के उत्सर्जन एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी वही मानक लागू होंगे, जो स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांटों पर लागू हैं।
  - (4) प्लान्ट स्थापना हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
  - (5) राज्य में उपखनिजों के छोटे लॉटों/पट्टों में मूल्य संवर्धन (Value addition) के उद्देश्य से खनन क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापित कर संचालन किया जायेगा।
  - (6) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापना एवं संचालन हेतु नदी से दूरी के मानक में शिथिलता रहेगी तथा आबादी आदि से दूरी के मानक वहीं रहेंगे, जो संबंधित क्षेत्र हेतु नीति में निर्धारित है।
  - (7) प्लांट संचालन तथा प्लांट के परिसर में कच्चे माल एवं तैयार माल के भण्डारण की स्वीकृति उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की संस्तुति के आधार पर अधिकतम एक वर्ष अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, के लिए जिलाधिकारी द्वारा साथ-साथ स्वीकृत की जायेगी।  
परन्तु यह कि, मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट केवल सरकारी संस्थाओं को सरकारी निर्माण कार्यों हेतु अधिकतम 01 वर्ष की अवधि के लिये अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, स्वीकृत किये जायेंगे।
  - (8) पूर्व से स्थापित मोबाईल स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट पर इस नीति के विनियमितीकरण प्रावधान उपरोक्तानुसार लागू होंगे।
  - (9) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा क्रशड एवं उपयोग में लाये गये मैटेरियल का लेखा-जोखा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह संबंधित खान अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

## नवीनीकरण

23.

- (1) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट हेतु नवीनीकरण शुल्क अध्याय-II में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा।
- (2) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट का नवीनीकरण अपरिहार्य परिस्थितियों में एक वर्ष की अवधि अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

नाम परिवर्तन/ 24.  
भागीदारों के  
नाम परिवर्तन/  
/अनुज्ञा  
हस्तान्तरण:

मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति, जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:- इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-

1. मोबाईल स्टोन केशर का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन - प्रत्येक हेतु रू0 50,000/-
2. मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन - प्रत्येक हेतु रू0 25,000/-

### अध्याय-III. हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट

- आवेदन 25. हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट के स्थापना एवं प्लान्ट में पक्के माल के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु आवेदन अनुसूची-6 में वर्णित अभिलेखों एवं शुल्क सहित संबंधित जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।  
जिला खान अधिकारी अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को स्पष्ट संस्तुति सहित अग्रसारित किया जायेगा।
- अनुज्ञा शुल्क 26. अनुज्ञा शुल्क रू0 25000/-
- अनुज्ञा स्वीकृति 27. 1. जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी जाँच आख्या प्राप्ति के उपरान्त प्लान्ट एवं प्लान्ट परिसर में पक्के माल के भण्डारण की स्वीकृति याचित परियोजना अवधि अथवा दो वर्ष जो भी कम हो, हेतु की जायेगी।  
हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट में भण्डारण एवं सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी, जो उपजिलाधिकारी से न्यून न हो अथवा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- नवीनीकरण 28. हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट हेतु नवीनीकरण शुल्क अध्याय-III में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा।  
हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट का नवीनीकरण उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी/महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा 02 वर्ष या याचित अवधि जो भी कम हो, के लिए की जायेगी।
- अन्य शर्तें 29. (1) प्लांट की स्थापना एवं संचालन हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) एवं संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

- (2) प्लान्ट को रेडिमिक्स पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- (3) प्लान्ट स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा-निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

नाम परिवर्तन/ 30.  
भागीदारों के  
नाम परिवर्तन/  
/अनुज्ञा  
हस्तान्तरण:

हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स (आर0एम0सी0) प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-

1. हाटमिक्स प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन - प्रत्येक हेतु रू0 50,000/-
2. रेडिमिक्स (आर0एम0सी0) प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन - प्रत्येक हेतु रू0 50,000/-

**अध्याय-IV. पल्वराईजर प्लांट की स्थापना एवं परिसर में खनिज सोपस्टोन के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति व नवीनीकरण**

- आवेदन 31. पल्वराईजर प्लांट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में खनिज सोपस्टोन के भण्डारण हेतु आवेदन अनुसूची-7 में उल्लिखित प्रपत्र पर आवेदन शुल्क एवं वर्णित अभिलेखों सहित पांच प्रतियों में संबंधित जिले के भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।
- आवेदन शुल्क 32. पल्वराईजर प्लांट हेतु आवेदन शुल्क रू0 1.00 लाख होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।
- स्थल चयन 33. पल्वराईजर प्लांट की स्थापना हेतु आवेदित स्थल की जाँच समिति उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।
- अनुज्ञा देने हेतु 34. (क) पल्वराईजर प्लांट की स्थापना हेतु न्यूनतम 0.20 एकड़ क्षेत्रफल आवश्यक होगा।  
(ख) पल्वराईजर प्लांट की स्थापना, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम, सार्वजनिक धार्मिक स्थल से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी पर स्थापित किया जायेगा।  
(ग) पूर्व से स्थापित/संचालित पल्वराईजर प्लांट पर दूरी एवं क्षेत्रफल के मानक लागू नहीं होंगे।  
(घ) प्लांट की स्थापना एवं संचालन से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to

M

630  
establishment पर संचालनार्थ सहमति (Consent to operate)<sup>47</sup> की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

(ड) प्लांट स्वामी को ई-रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अपरिहार्य होगा।

अनुज्ञा स्वीकृति 35.

पल्वराईजर प्लांट की स्थापना/संचालन तथा प्लांट परिसर में खनिज सोपस्टोन, लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति गठित समिति की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु एक साथ प्रदान की जायेगी।

पूर्व में स्थापित/संचालित ऐसे पल्वराईजर प्लान्ट, जिनके द्वारा अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गयी है, को भी इस नीति के तहत अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

पूर्व से स्थापित एवं संचालित प्लांटों पर इस नीति में निर्धारित दूरी एवं क्षेत्रफल के मानक लागू नहीं होंगे।

नवीनीकरण

36. पल्वराईजर प्लांट एवं परिसर में खनिज सोपस्टोन लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु आवेदक द्वारा प्लांट की स्वीकृत अवधि की समाप्ति से छः माह पूर्व आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क रू0 1.00 लाख का कोषागार चालान जमा के साथ आवेदन, जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा जिसे परीक्षण कर जिला खान अधिकारी अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। उप जिलाधिकारी व जिला खान अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त प्लांट एवं परिसर में खनिज सोपस्टोन, लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञा का नवीनीकरण शासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु एक साथ प्रदान की जायेगी।

नाम परिवर्तन/  
भागीदारों के  
नाम परिवर्तन/  
/अनुज्ञा  
हस्तान्तरण:

37. पल्वराईजर प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति शासन द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-

पल्वराईजर प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन प्रत्येक हेतु -रू. 50,000/-

विविध

38. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांटको प्रोसेसिंग यूनिट मानते हुए उत्पादित उपखनिज एक श्रेणी में होने के कारण प्लांट संचालकों को उत्पादित/विक्रय की गयी मात्रा तथा हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट में प्रयोग हेतु क्रय किये गये उपखनिज (ग्रिट आदि) की मात्रा पर पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क रू0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

39. (1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त

4

अवसर पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

- मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लांट को नीति के विपरीत कार्य करने पर स्वीकृता अधिकारी द्वारा सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।
- (2) यदि स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्लांट की स्थापना नहीं की जाती है, तो जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा धारक को युक्ति-युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अनुज्ञा निरस्त किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
  - (3) स्थापित एवं संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों का प्रतिवर्ष (कम से कम एक बार) आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वे महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाएगा तथा अनियमितता पाये जाने पर सुसंगत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
  - (4) नये प्लांट की स्थापना, नवीनीकरण एवं प्लांट के नाम/भागीदार परिवर्तन/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवश्यक खनन अदेयता प्रमाण पत्र यदि आवेदक इकाई के विरुद्ध अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन से सम्बन्धित अधिरोपित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में वाद/अपील विचाराधीन हैं तथा इस हेतु आवेदक/भागीदारों के द्वारा वाद/अपील में पारित अन्तिम निर्णय का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर खनन अदेयता प्रमाण पत्र महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा उक्त शर्तों के अधीन निर्गत किया जायेगा।

अध्याय-V. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं के सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की स्वीकृति :-

आवेदन 40.

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-8 में आवेदन करने पर संबंधित परियोजना अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों को परियोजना की अवधि अथवा याचित अवधि, जो भी न्यून हो, तक महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-8 में आवेदन करने पर संबंधित परियोजना के सरकारी कार्यदायी संस्था अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों को परियोजना की अवधि अथवा याचित अवधि, जो भी न्यून हो, तक संबंधित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

स्थल चयन 41.  
समिति

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों से स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदित स्थल की निम्नानुसार गठित तकनीकी समिति से संयुक्त निरीक्षण आख्या महानिदेशक,

i	महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा नामित अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी	संयोजक
ii	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iii	प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iv	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित वन संरक्षक स्तर का अधिकारी	सदस्य
v	संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी	सदस्य
vi	अभियन्ता (सिविल), रेल विकास निगम।	सदस्य
vii	क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	सदस्य

उक्त तकनीकी समिति आवश्यकतानुसार विभागीय अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रि के रूप में आबद्ध कर सकेगी।

मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-8 में जिलाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने पर जिला स्तर पर गठित समिति की स्थलीय निरीक्षण कर आख्या/संस्तुति संबंधित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

#### अनुज्ञा स्वीकृति 42.

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट प्लांट तथा प्लांट परिसर में उपखनिज के भण्डारण हेतु प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षणोंपरान्त अपनी संयुक्त निरीक्षण आख्या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रेषित की जायेगी तथा महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट की अनुज्ञा 05 वर्ष की अवधि अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में जिला स्तर पर गठित समिति की स्थलीय निरीक्षण कर आख्या/संस्तुति के आधार पर 01 वर्ष की अवधि अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, अनुज्ञा संबंधित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा परियोजनाओं के विभिन्न टनलों/निर्माण स्थलों से निकलने वाले उपखनिज Muck में

से उपखनिज (Usable material) की मात्रा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियमानुसार निर्गत स्वीकृति एवं रिवर ट्रेनिंग के अन्तर्गत प्राप्त अनुज्ञप्ति में स्वीकृत मात्रा) को स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत (Source of Raw Material) के रूप में मान्य होगा।

मानक एवं  
अन्य शर्तें

43. (1)

हॉट मिक्स प्लांट एवं रेडिमिक्स प्लांट हेतु राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा स्वीकृत स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांटों से तैयार माल स्रोत (Source of Material) के रूप में मान्य होगा।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा स्वीकृत प्लांटों का पंजीकरण विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल पर कराया जाना अनिवार्य होगा।

(2)

वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 09 जून 2021, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु संरक्षण अधिनियम, 1981, जल संरक्षण अधिनियम-1974 एवं संगत नियमावलियों तथा मा0 न्यायालयों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(3)

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट संयंत्र (Equipment) को परिसर की चाहरदीवारी/कवर्ड फेंसिंग (Boundary wall)/Covered Fencing के अन्दर स्थापित करेगा।

(4)

स्टोन क्रेशर प्लांट/स्क्रीनिंग प्लांट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी0 ऊंची होगी, जिससे धूल कण आदि परिसर से बाहर न आएँ।

कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक होने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी पर ₹ दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(5)

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट को कवर्ड शैड (Covered shed) के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर फब्वारे (Water sprinklers) लगाने होंगे।

(6)

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।

(7)

संचालक द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि धूल हवा में न उड़ें।

(8)

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्टी, जो न्यूनतम तीन परतों में हो, का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यह

M

634 प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयंत्र चालू करने के 06 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी।

- (9) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लांट स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
- (10) सम्पूर्ण क्रशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार फब्बारे (Water sprinklers) की स्थापना की जाय, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
- (11) फब्बारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जाये ताकि फब्बारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।
- (12) कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये, जिसकी आई0डी फेन के माध्यम से स्क्रबिंग की जाय। स्क्रबिंग में प्रयुक्त जल को सेटलिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जाये।
- (13) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वीकृति से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) तथा प्लान्ट स्वीकृति के उपरान्त प्लान्ट संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) लिया जाना अपरिहार्य होगा।
- (14) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्टों में धूल के उत्सर्जन एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी वही मानक लागू होंगे, जो स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों पर लागू हैं।

नीति का 44.  
स्पष्टीकरण

इस नीति में किये गये प्रावधान का कोई भी स्पष्टीकरण (Clarification) करने का अधिकार शासन में निहित होगा।

आज्ञा से,  
  
(आर0.मीनाक्षी सुन्दरम)  
सचिव।

स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना तथा प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप  
अनुसूची-1

(06 प्रतियों में)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,

जिला.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन नये स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुमति प्रदान की जाय।

- 1- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नाम:-..... ।
- 2- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):-.....  
पता-.....  
मोबाईल नं०-.....  
ई-मेल आईडी-.....
- 3- आवेदित स्थल का विवरण -  
जिला.....  
तहसील.....  
ग्राम.....  
खसरा संख्या .....  
क्षेत्रफल.....
- 4- प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) ..... ।
- 5- अधिकृत परामर्शदाता/आर्किटेक्ट द्वारा आवेदित स्थल (जिसमें नीति में निर्धारित मानकों के अनुरूप समस्त आवश्यक संरचनाओं यथा हरित पट्टिका, आवागमन हेतु मार्ग, कार्यालय, धर्मकांटा व भण्डारण स्थल आदि का क्षेत्रफल मानचित्र पर प्रदर्शित हो) की प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति..... ।
- 6- प्लांट परिसर में प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में)..... ।
- 7- अनुज्ञा शुल्क का विवरण :- चालान सं०.....धनराशि.....दिनांक..... ।
- 8-अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है..... ।
- 9-यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता ..... ।

- 10- फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता..... ।
- 11-आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति..... ।
- 12-यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के विधिवत रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति ..... ।
- 13-आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति ..... ।
- 14- आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र की प्रति..... ।
- 15- आवेदक अथवा उसके भागीदार के भूस्वामी न होने पर संबंधित स्थल के भूमिधर/भूमिधरों के साथ आवेदक का विधिवत पंजीकृत पट्टा विलेख प्लान्ट की प्रति ..... ।
- 16- स्थानीय समाचार पत्र में प्रभावित व्यक्तियों की अनापत्ति के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति..... ।
- 17- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति..... ।
- 18- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..... ।
- 19- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ..... ।
- 20 -आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति.. ।
- 21- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर की प्रति..... ।
- 22- प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति के स्रोत के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति..... ।
- 23- प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा, जो कि निरन्तर संचालित रहेंगे, लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र..... ।

मैं/हम एतद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं ।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर ।

स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण अनुज्ञा सम्बन्धी संयुक्त निरीक्षण  
आख्या का प्रारूप  
(अनुसूची-2)

1. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम:-..... ।
2. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम व पता (निजी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):-..... ।
3. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल का विवरण -..... ।

ग्राम	तहसील	जिला	खसरा सं०	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5

4. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट की प्रस्तावित क्षमता (टन/प्रति घंटा)..... ।
5. आवेदक शुल्क का विवरण:-

चालान सं०	धनराशि	दिनांक

6. आवेदक का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी:-
7. आवेदक के स्थायी निवास प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी:-
8. आवेदक के द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की अनापत्ति के सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशन का दिनांक..... ।
9. आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की अनापत्ति के सम्बन्ध में प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त प्राप्त आपत्ति का विवरण एवं निस्तारण सम्बन्धी आख्या:-
10. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल के संयुक्त निरीक्षण का दिनांक..... ।

11. प्रस्तावित संयंत्र से प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ संलग्न मानचित्र के अनुसार प्लांट के डक स्थल से नीति में निर्धारित दूरी के सापेक्ष वास्तविक दूरी:-

क्र०सं०	स्थान	नीति में निर्धारित दूरी के मानक	मौका निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी	टिप्पणी
1.	सरकारी वन			
2.	(क) जिला हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे से			
	(ख) अन्य मैदानी क्षेत्रों हेतु नदी (Perennial river) के किनारे से			
	(ग) Non-Perennial river (वर्षाती नदी, नाला, गधेरा) के किनारे से			
3.	सार्वजनिक धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)			
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि			
5.	आबादी से दूरी			

12. राजस्व विभाग की आख्या :-

(क) प्लांट की स्थापना हेतु आवेदित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखानुसार विवरण:-

क्र०सं०	ग्राम	तहसील	खाता सं०	खसरा सं०	भूमि की श्रेणी	भूस्वामी का नाम	क्षेत्रफल (है० मे)	भूमि बन्धक होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी।
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(ख). आवेदक अथवा उसके भागीदार के भूस्वामी न होने पर संबंधित स्थल के भूमिधर/भूमिधरों के साथ आवेदक का नोटरीज्ड शपथ पत्र:- .....

(ग). आवेदित भूमि के बन्धक मुक्त होने के संबंध में प्रमाण पत्र/नोटरीज्ड शपथ पत्र.....

(घ) प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:- .....

### 13. वन विभाग की आख्या:-

(क) प्रस्तावित प्लांट की सरकारी वन/आरक्षित वन से दूरी:- .....

(ख) प्रस्तावित प्लांट की नेशनल पार्क/सेंचुरी से दूरी:- .....

(ग) प्रस्तावित प्लांट स्थल पर विद्यमान वृक्षों का प्रकार व संख्या:- .....

(घ) प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:- .....

### 14. भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की आख्या :-

1. (क) नीति के अध्याय-I के बिन्दु सं0 4 के अनुसार प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का क्षेत्रफल (है0 में):-... ..

(ख) प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्लान्ट परिसर में प्रस्तावित भण्डारण क्षमता (टन में)..... ।

(ग) नीति के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 4 (घ) के अनुसार एक समय में भण्डारण क्षमता (टन में)- .....

(घ) नीति के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 4 (ड) के अनुसार प्लांट की वार्षिक क्रशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता (टन में):-..... ।

2. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु कच्चे माल के स्रोत के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के सम्बन्ध में टिप्पणी:-..... ।

3 (क). आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की आपत्ति के सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है अथवा नहीं के सम्बन्ध में टिप्पणी:- .....

(ख) आवेदक द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था द्वारा कार्यालय में आपत्ति प्राप्त हुयी है अथवा नहीं, यदि आपत्ति प्राप्त हुयी है तो उस पर जन सुनवाई की गयी है अथवा नहीं, यदि की गई है तो जन सुनवाई का दिनांक व लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में टिप्पणी:- .....

4. प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित प्लांट डक स्थल के जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स..... ।

5. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के नाम पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टा/भण्डारणों में अर्धदण्ड तो आरोपित नहीं है, यदि है तो पूर्ण विवरण :- .....

6. प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:- .....
7. प्लांट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:- .....
8. अन्य कोई अभिलेख/शर्तें, यदि आवश्यक हो:-

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना/संचालन के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति:-

(प्रभागीय वनाधिकारी प्रतिनिधि)  
वन विभाग,  
सदस्य।

(जिला खान अधिकारी)  
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,  
सदस्य सचिव।

(उप जिलाधिकारी)  
राजस्व विभाग,  
अध्यक्ष।

स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप (अनुसूची-3)।

(03 प्रतियों में)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,  
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,  
जिला.....

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के नवीनीकरण एवं प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण के नवीनीकरण हेतु अनुमति प्रदान की जाय।

1- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नाम:-.....।

2- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):-.....

पता:-.....

मोबाईल नं०-.....

ई-मेल आईडी-.....

3- आवेदित स्थल का विवरण -

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल

4- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्थापना की स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु पूर्व निर्गत आदेश की प्रति .....।

5- प्लांट की क्षमता (टन/घंटा), जिसके लिए नवीनीकरण किया जाना है .....।

6- अधिकृत परामर्शदाता/आर्किटेक्ट द्वारा आवेदित स्थल (जिसमें नीति में निर्धारित मानकों के अनुरूप समस्त आवश्यक संरचनाओं यथा हरित पट्टिका, आवागमन हेतु मार्ग, कार्यालय, धर्मकांटा व भण्डारण स्थल आदि का क्षेत्रफल मानचित्र पर प्रदर्शित हो) की प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट/मानचित्र की प्रति.....।

7- प्लांट परिसर में प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में).....  
.....।

8- आवेदन शुल्क का विवरण (मूल प्रति सहित) :-

चालान सं०	धनराशि	दिनांक

9- पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि का विवरण.....

क्र०सं०	स्वीकृत अवधि में प्रतिवर्ष विक्रय उपखनिज की मात्रा (टन में)	पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा धनराशि (रु०)

10-अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण का नवीनीकरण अपेक्षित है.....।

11-यदि आवेदक एक व्यक्ति अथवा फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता .....

12- आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति.....।

13- यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति .....

14- आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति .....

15- आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति .....

16- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति.....।

17- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति.....।

18- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .....

19- अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने अथवा यदि अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन सम्बन्धी प्रकरणों में अधिरोपित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हो तो मा० न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय आदेश की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .....

20- प्रचलित नीति के अध्याय-I के बिन्दु सं०-6 व अध्याय-III के बिन्दु सं० 2 के अनुपालना के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .....

- 21- आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्धसरकारी बैंक में बंधक हो तो, संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति...  
.....
- 22- प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध में अनुबन्ध की नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रति..... ।
- 23- पूर्व से स्थापित प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा, जो कि निरन्तर संचालित रहेंगे, लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण स्वरूप फोटोग्राफ की सत्यापित प्रति.....  
..... ।

मैं/हम एतद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर।

स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु संयुक्त निरीक्षण  
आख्या का प्रारूप  
(अनुसूची-4)

1. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम:-..... ।
2. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम व पता (निजी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):-..... ।
3. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल का विवरण -..... ।

ग्राम	तहसील	जिला	खसरा सं०	क्षेत्रफल

4. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट की प्रस्तावित क्षमता (टन/प्रति घंटा)..... ।
5. आवेदक शुल्क का विवरण:-

चालान सं०	धनराशि	दिनांक

6. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल के संयुक्त निरीक्षण का दिनांक..... ।
7. भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की आख्या :-
  1. (क) नीति के अध्याय-1 के बिन्दु सं० 4 के अनुसार प्रस्तावित स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट का क्षेत्रफल (है० मे):-  
.....
  - (ख) नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 4 (ग) के अनुसार प्लांट परिसर में खनिजों के भण्डारण हेतु अवशेष क्षेत्रफल(है० मे):- .....
  - (ग) प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार अवशेष आवेदित भण्डारण स्थल में एक समय में भण्डारण क्षमता (टन में).....
  - (घ) नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 4 (घ) के अनुसार एक समय में भण्डारण क्षमता (टन में)- .....
  - (ङ) नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 4 (ङ) के अनुसार प्लांट की वार्षिक क्रशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता (टन में):-.....
2. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा प्लांट में Tamper Proof इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाया गया है अथवा नहीं..... ।

3. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के हैं अथवा नहीं..... ।
4. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु कच्चे माल का स्रोत के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत नोटराईज्ड शपथ पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी..... ।
5. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के नाम पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टा/भण्डारणों में अर्थ दण्ड तो आरोपित नहीं है यदि है, तो पूर्ण विवरण अद्यतन स्थिति सहित..... ।
6. (क). स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट, यदि फर्म/कम्पनी हो तो उसके भागीदारों एवं सदस्यों का विवरण:-..... ।  
(ख). भागीदारी डीड एवं पंजीकरण दिनांक का विवरण ..... ।
7. प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा० न्यायालयों/मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:-
8. सी०सी०टी०वी० संचालन की स्थिति के सम्बन्ध में टिप्पणी..... ।
9. विगत पाँच वित्तीय वर्षों में प्लांट स्वामी के द्वारा क्रय-विक्रय किये गये उपखनिज का विवरण:-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	प्लांट की स्वीकृत वार्षिक क्रशिंग क्षमता (टन में)	क्रय	विक्रय

10. पूर्व स्वीकृत अवधि में जमा किये गये पर्यावरणीय एवं खनिज सम्पदा शुल्क का विवरण:-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत अवधि में प्रतिवर्ष विक्रय उपखनिज की मात्रा (टन में)	पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा धनराशि (रु०)

11. नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 (1) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट संयंत्र (Equipment) में चाहरदीवारी (Boundary wall) की स्थिति..... ।
12. नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 (2) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी० ऊंची है अथवा नहीं के सम्बन्ध में टिप्पणी ।
13. प्लांट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:-
14. प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित प्लांट डक स्थल के जी०पी०एस० कॉर्डिनेट्स..... ।

15. अन्य कोई अभिलेख/शर्तें, यदि आवश्यक हो:-

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आख्या:-

1. स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट संयंत्र (Equipment) में चाहरदीवारी (Boundary wall) की स्थिति.....  
.....।
2. स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी० ऊंची है अथवा नहीं के सम्बन्ध में टिप्पणी।
3. पूर्व से स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट में धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन  $600 \mu\text{g}/\text{m}^3$  से कम है अथवा नहीं के सम्बन्ध में टिप्पणी।
4. पूर्व से स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट में Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 में निर्धारित मानकों के अनुरूप होने अथवा न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी।
5. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/कन्वेयर बैल्ट आदि को covered shed के अन्दर स्थापित किया गया है अथवा नहीं के सम्बन्ध में टिप्पणी.....।
6. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के हैं अथवा नहीं.....।
7. सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था की गयी है अथवा नहीं.....।
8. पूर्व से स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्टीका का निर्माण किया गया है अथवा नहीं के सम्बन्ध में टिप्पणी।
9. सम्पूर्ण क्रशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फव्वारे की स्थापना की गयी है अथवा नहीं.....।
10. फव्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की गयी है अथवा नहीं.....।
11. कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित की गयी है अथवा नहीं.....।
12. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish जारी किये जाने की तिथि....  
..... तथा अन्तिम Consent to Operate की तिथि.....।
13. प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा० न्यायालयों/मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:-
14. प्लांट संचालन हेतु पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत लगायी जाने वाली अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध:-

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना/संचालन के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति:-

(क्षेत्रीय अधिकारी प्रतिनिधि)  
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण  
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(जिल खान अधिकारी)  
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग।

मोबाइल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु  
आवेदन पत्र का प्रारूप।  
अनुसूची-5

(03 प्रतियों में)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,  
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,  
जिला.....

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराइजर, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन मोबाइल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाय।

1- मोबाइल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट का नाम:-..... ।

2- मोबाइल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):-.....

पता:-.....

मोबाईल नं०:-.....

ई-मेल आईडी:-.....

3- आवेदित स्थल का विवरण -

जिला.....

तहसील.....

ग्राम.....

खसरा संख्या .....

क्षेत्रफल.....

4- प्लांट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) .....

5- प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में)..... ।

6- आवेदन शुल्क का विवरण :- चालान सं०.....धनराशि.....दिनांक..... ।

7- पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि का विवरण.....

धनराशि.....वर्ष.....से .....तक ।

- 8- अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .....
- 9-अवधि, जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है..... ।
- 10-यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता .....
- 11- फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता..... ।
- 12-आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति..... ।
- 13-यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म /सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रतियाँ या मेमोरैंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति .....
- 14-आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति .....
- 15- आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र की प्रति..... ।
- 16- यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ-पत्र की प्रति .....
- 17- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति..... ।
- 18- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..... ।
- 19- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .....
- 20 -आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति.....
- 19- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर..... ।
- 20- प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति के स्रोत के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..... ।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर।

हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।  
अनुसूची-6

(03 प्रतियों में)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,  
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,  
जिला.....

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराइजर, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट तथा परिसर में खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाय।

1- हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट का नाम:-..... ।

2- हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):-.....

पता-.....

मोबाईल नं०-.....

ई-मेल आईडी-.....

3- आवेदित स्थल का विवरण -

जिला.....

तहसील.....

ग्राम.....

खसरा संख्या .....

क्षेत्रफल.....

4- प्लांट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) .....

5- प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में).....

6- आवेदन शुल्क का विवरण :- चालान सं०.....धनराशि.....दिनांक..... ।

7- पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि का विवरण.....  
धनराशि.....वर्ष.....से .....तक ।

8-अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है..... ।

- 9- यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता .....
- 10- फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता..... ।
- 11-आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति..... ।
- 12-यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति .....
- 13-आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति .....
- 14- अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .....
- 15- आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र की प्रति..... ।
- 16- यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ-पत्र की प्रति .....
- 17-आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति..... ।
- 18- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..... ।
- 19- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .....
- 20 -आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति.....
- 21- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर..... ।
- 22- प्लांट में कच्चे/पक्के माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .....

मैं/हम एतद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर।

पल्वराईजर प्लांट की स्थापना तथा प्लांट परिसर में खनिज सोपस्टोन भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

अनुसूची-7

(06 प्रतियों में)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,  
भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई,  
जिला.....

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराइजर, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन पल्वराईजर प्लांट की स्थापना तथा प्लांट परिसर में खनिज सोपस्टोन भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृति/नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाय।

- 1- पल्वराईजर प्लांट का नाम:-..... ।
- 2- पल्वराईजर प्लांट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):-.....  
पता-.....  
मोबाईल नं०-.....  
ई-मेल आईडी-.....
- 3- आवेदित स्थल का विवरण -  
जिला.....  
तहसील.....  
ग्राम.....  
खसरा संख्या .....  
क्षेत्रफल.....
- 4- प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) ..... ।
- 5- प्लांट परिसर में खनिज सोपस्टोन के भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में)..... ।
- 6- आवेदन शुल्क का विवरण :- चालान सं०.....धनराशि.....दिनांक..... ।
- 7- पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि का विवरण.....  
धनराशि.....वर्ष.....से .....तक ।
- 8- अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है..... ।
- 9- यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रियता ..... ।

- 10- फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता..... ।
- 11- आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति..... ।
- 12- यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति ..... ।
- 13- आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति ..... ।
- 14- आवेदित क्षेत्र का साइट प्लान की स्वप्रमाणित प्रति..... ।
- 15- प्लांट के स्थापना एवं संचालन संबंधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति ..... ।
- 16- आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र की प्रति..... ।
- 16- यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ-पत्र की प्रति .....
- 17- अवैध भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .....
- 18- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति..... ।
- 19- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति... .. ।
- 20- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .....
- 21 - आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति...
- 22- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर..... ।
- 23- प्लांट में कच्चे माल (सोपस्टोन) की आपूर्ति के स्रोत के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..... ।
- 24- प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र..... ।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं हेतु स्टोन केशर/ स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना तथा प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप  
(अनुसूची-8)

(03 प्रतियों में)

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

सेवा में,

महानिदेशक,  
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पत्तराइजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन नये स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुमति प्रदान की जाय।

- 1- स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट का नाम:-.....।
- 2- स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट के आवेदक का नाम:-.....  
पता-.....  
मोबाईल नं०-.....  
ई-मेल आईडी-.....

3- आवेदित स्थल का विवरण -

क्र० सं०	ग्राम	तहसील	खाता सं०	ख०सं०	भूमि की श्रेणी	भूस्वामी का नाम	क्षेत्रफल (है० में)	भूमि बन्धक होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी

- 4- प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) .....
- 5- प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में).....।
- 6- अनुज्ञा शुल्क का विवरण :- चालान सं०.....धनराशि.....दिनांक.....।
- 7- अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.....।
- 8- आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति.....।
- 9- यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति .....
- 10- राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रक्टर्स होने की दशा में परियोजनाओं एवं उनके मध्य हुये अनुबन्ध की प्रति .....

- 11- आवेदित क्षेत्र का साइट प्लान की स्वप्रमाणित प्रति..... ।
- 12- प्लांट के स्थापना एवं संचालन संबंधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति ..... ।
- 14- यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ-पत्र की प्रति ..... ।
- 15- राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रैक्टर्स होने की दशा में खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति..... ।
- 16- राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रैक्टर्स होने की दशा में आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..... ।
- 17- राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रैक्टर्स होने की दशा में वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण पत्र/ नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ..... ।
- 18- आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति.....
- 19- राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रैक्टर्स का जी0एस0टी0 नम्बर..... ।
- 20- विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण स्थलों/टनलों से निकलने वाले उपखनिज (Muck) में से उपयोगार्थ उपखनिज (Usable material) की मात्रा, जो राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा लिखित रूप से सूचित किया जायेगा, को स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत (Source of Raw Material) के रूप में मान्य होगा, को प्रस्तुत किया जायेगा ।
- 21- प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र..... ।

मैं/हम एतद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं ।

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर ।

आज्ञा से,

(आर0 मोनाक्षी सुन्दरम)  
सचिव ।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1  
संख्या: 124/VII-A-1/2021/8(16)/19  
देहरादून, दिनांक: 19 जनवरी, 2021

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नीति बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा (संशोधन) नीति, 2021

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
- (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा (संशोधन) नीति, 2021 है।
  - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

- अध्याय-X का अंतःस्थापन
- उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 में एक नया अध्याय-X निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :-

अध्याय-X. ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/ रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की स्वीकृति:-

- स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की स्वीकृति
- उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 के अध्याय-II एवं अध्याय-IX को छोड़कर अध्याय-I, अध्याय-III, अध्याय-IV, अध्याय-V, अध्याय-VI, अध्याय-VII व अध्याय-VIII के प्रावधान सामरिक महत्व की ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होंगे।  
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण परियोजना हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट एवं प्लांट परिसर में भण्डारण की स्वीकृतियाँ ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार को परियोजना की अवधि अथवा याचित अवधि, जो भी न्यून हो, तक निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा स्वीकृत की जायेगी।  
इस हेतु ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-8 में आवेदन मय शुल्क सहित निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत किया जायेगा तथा उक्त के संबंध में

निम्नानुसार गठित तकनीकी समिति से निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-9 पर संयुक्त निरीक्षण आख्या प्राप्त की जायेगी। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। तकनीकी समिति निम्नवत् होगी :-

i	निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा नामित अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी	संयोजक
ii	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iii	प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iv	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित वन संरक्षक स्तर का अधिकारी	सदस्य
v	संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी	सदस्य
vi	अभियन्ता (सिविल), रेल विकास निगम।	सदस्य
vii	क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	सदस्य

उक्त तकनीकी समिति आवश्यकतानुसार विभागीय अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को विशेष आमंत्री के रूप में आबद्ध कर सकेगी।

उक्तानुसार गठित समिति द्वारा प्लांट निर्माण तथा प्लांट परिसर में भण्डारण हेतु प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षणोंपरान्त अपनी संयुक्त निरीक्षण आख्या निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रेषित की जायेगी तथा निदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा निर्माणाधीन ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाईन मार्ग के विभिन्न टनलों से निकलने वाले उपखनिज (Muck) में से उपयोगार्थ उपखनिज (Usable material) की मात्रा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 के नियम 9 के अनुसार निर्गत स्वीकृति एवं रिवर ट्रेनिंग के अन्तर्गत प्राप्त अनुज्ञप्ति में स्वीकृत मात्रा को स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत (Source of Raw Material) के रूप में मान्य होगा।

हॉट मिक्स प्लांट एवं रेडिमिक्स प्लांट हेतु ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार को स्वीकृत स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांटों से तैयार माल स्रोत (Source of Material) के रूप में मान्य होगा।

प्लांटों में, अनुमत प्राप्त स्रोतों से उपखनिजों की प्राप्ति के समय स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्टोन क्रेशर हेतु ₹ 1.00 प्रति कुन्तल तथा स्क्रीनिंग

प्लांट/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट हेतु ₹ 0.50 प्रति कुन्तल के समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा स्वीकृत प्लांटों का पंजीकरण विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल पर कराया जाना अनिवार्य होगा।

अनुज्ञा देने हेतु शर्तें

2. (1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट संयंत्र (Equipment) को परिसर की चाहरदीवारी/कवर्ड फेंसिंग (Boundary wall)/Covered Fencing) के अन्दर स्थापित करेगा।
- (2) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी0 ऊंची होगी, जिससे धूल कण आदि परिसर से बाहर न आएं। कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक होने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी पर ₹ दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।
- (3) (क) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु ऐसा संयंत्र स्थापित करना होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन 600 µg/m<sup>3</sup>से कम हो।  
(ख) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी को ऐसा संयंत्र स्थापित करना होगा, जो Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 के निम्न प्रावधानानुसार निर्धारित मानकों निम्न मानकानुसार हो :-

Ambient air quality standards in respect of Noise

Area code	Category of Area/ Zone	Limits in db(A) Leq	
		Day Time	Night Time
(A)	Industrial Area	75	70
(B)	Commercial Area	65	55
(C)	Residential Area	55	45
(D)	Silence Area	50	40

Note -

Day time shall mean time from 6.00 a.m. to 10.00 p.m.

Night time shall mean time from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

- (ग) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट को covered shed के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाने होंगे।
- (4) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।
- (5) संचालक द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि धूल हवा में न उड़ें।
- (6) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्टी, जो न्यूनतम तीन परतों में हो, का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयंत्र चालू करने के 06 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी।

- (7) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
- (8) सम्पूर्ण क्रशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फब्वारे की स्थापना की जाय, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
- (9) फब्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जाये ताकि फब्वारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।
- (10) कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये, जिसकी आई0डी फेन के माध्यम से स्कबिंग की जाये। स्कबिंग में प्रयुक्त जल को सेटलिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जाये।
- (11) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वीकृति से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish तथा प्लान्ट स्वीकृति के उपरान्त प्लान्ट संचालन से पूर्व Consent to operate लिया जाना अपरिहार्य होगा।
- (12) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालन हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रख्यापित आदेशों/ अधिनियम में इंगित दिशा-निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
- (13) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्टों में धूल के उत्सर्जन एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी वही मानक लागू होंगे, जो स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्टों पर लागू हैं।
- (14) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

l

आज्ञा से,

*Mishra*

(डा० मेहरबाम सिंह बिष्ट)  
अपर सचिव

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

सेवा में,

निदेशक,  
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,  
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराइजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 के अधीन नये स्टोन केशर/मोबाईल स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुमति प्रदान की जाय।

- 1- स्टोन केशर/मोबाईल स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट का नाम:-.....  
.....।
- 2- स्टोन केशर/मोबाईल स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट के आवेदक का नाम:-.....  
पता:-.....  
मोबाईल नं०:-.....  
ई-मेल आईडी:-.....

3- आवेदित स्थल का विवरण -

क्र०सं०	ग्राम	तहसील	खाता सं०	ख०सं०	भूमि की श्रेणी	भूस्वामी का नाम	क्षेत्रफल (है० में)	भूमि बन्धक होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी

- 4- प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) .....
- 5- प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में).....।
- 6- अनुज्ञा शुल्क का विवरण :- चालान सं०.....धनराशि.....दिनांक.....।
- 7- अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.....।
- 8- आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति.....।
- 9- यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति .....
- 10- आर०बी०एन०एल० का अधिकृत कॉन्ट्रक्टर्स होने की दशा में आर०बी०एन०एल० के मध्य हुये अनुबन्ध की प्रति .....

- 11- आवेदित क्षेत्र का साइट प्लान की स्वप्रमाणित प्रति..... ।
- 12- प्लांट के स्थापना एवं संचालन संबंधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति ..... ।
- 14- यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ-पत्र की प्रति ..... ।
- 15- आर0बी0एन0एल0 का अधिकृत कॉन्ट्रैक्टर्स होने की दशा में खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति..... ।
- 16- आर0बी0एन0एल0 का अधिकृत कॉन्ट्रैक्टर्स होने की दशा में आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..... ।
- 17- आर0बी0एन0एल0 का अधिकृत कॉन्ट्रैक्टर्स होने की दशा में वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण पत्र/नोटराईज्डशपथ पत्र की प्रति ..... ।
- 18- आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति.....
- 19- आर0बी0एन0एल0/अधिकृत कॉन्ट्रैक्टर्स का जी0एस0टी0 नम्बर..... ।
- 20- विभिन्न टनलों से निकलने वाले उपखनिज (Muck) में से उपयोगार्थ उपखनिज (Usable material) की मात्रा, जो रेलवे विकास निगम लिमिटेड के द्वारा लिखित रूप से सूचित किया जायेगा, को स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत (Source of Raw Material) के रूप में मान्य होगा, को प्रस्तुत किया जायेगा।
- 21- प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराइज्ड शपथ पत्र..... ।

मैं/हम एतद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....



आवेदक के हस्ताक्षर।

- 1- स्टोन केशर/मोबाईल स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम:-.....  
 .....
- 2- स्टोन केशर/मोबाईल स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट के आवेदक का नाम:-.....  
 .....  
 पता-.....  
 मोबाईल नं०-.....  
 ई-मेल आईडी-.....
- 3- स्टोन केशर/मोबाईल स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल के संयुक्त निरीक्षण का दिनांक..... ।
- 4- प्लांट की स्थापना हेतु आवेदित क्षेत्र का विवरण:-

क्र०सं०	ग्राम	तहसील	खाता सं०	ख०सं०	भूमि की श्रेणी	भूस्वामी का नाम	क्षेत्रफल (हे० मे)	भूमि बन्धक होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी

- 5- भूस्वामियों द्वारा आवेदक के पक्ष में अनापत्ति के सम्बन्ध में दिये गये किरायानामा/शपथ पत्र की मौके पर जाँच/सत्यापन सम्बन्धी टिप्पणी.....
- 6- प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) .....
- 7- प्रस्तावित स्थल के मध्य भाग के अंक्षांश व देशान्तर.....
- 8- प्रस्तावित प्लांट हेतु कच्चे माल के स्रोत के सम्बन्ध में (रेलवे विकास निगम द्वारा) टिप्पणी.....  
 .....
- 9- प्लांट की कच्चे माल के स्रोत से दूरी.....
- 10- प्लांट से निकलने वाले उपखनिज का End use (with product size).....
- 11- प्रस्तावित स्थल पर भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (एक समय पर).....
- 12- प्रस्तावित स्थल की भूगर्भीय संरचना के साथ स्थल के स्थायित्व के सम्बन्ध में टिप्पणी.....  
 .....
- 13- डम्पिंग साईट का विवरण..... ।
- 14- Bore Hole Log का विवरण..... ।
- 15- प्लांट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणी..... ।

*(Handwritten signature)*

16- अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.....।

17- शर्त :-

स्टोन केशर/मोबाईल स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना/संचालन तथा प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति:-

अभियन्ता (सिविल), रेल विकास निगम।  
(सदस्य)

क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण  
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।  
(सदस्य)

संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित  
अपर जिलाधिकारी  
(सदस्य)

प्रमुख वन संरक्षक (HOFF),  
उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में  
पदस्थापित वन संरक्षक स्तर का  
अधिकारी  
(सदस्य)


प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई  
विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित  
मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण  
अभियन्ता स्तर का अधिकारी  
(सदस्य)

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में  
पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर  
का अधिकारी (सदस्य)


निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,  
उत्तराखण्ड द्वारा नामित अपर  
निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर के  
अधिकारी (संयोजक)

*M.*

## Air pollution controlling by greenbelt





Amx-13









# Interlocking control of air pollution




## Ducting system for interlocking control of air pollution



Hight of the wind breaking wall 16 ft.



Wind breaking wall



## Reuse of washing water with pucca satelling





04-01-2016

बिल संख्या 2020/04/4642638

उपभागा संख्या KNOKAKARUKR20111146-L26-38

मांग संख्या cp-83

नाम अशोक कुमार, स्टेशन केशर /

पता चौरपाती रामनगर /

उत्तराखण्ड जल संस्थान  
जल मूल्य/सीवर सीट एवं विक्रेदन नोटिस  
जल संचय जीवन संचय  
Ramnagar Rural



विभागीय वेबसाईट : <http://ujss.uk.gov.in>

प्रत्येक बिल का भुगतान दस दिनों तक अवकाश का है अर्थात् उपरोक्त बिल पर  
प्रदत्त जल मूल्य एवं सीवर शुल्क का अधिभार, 10% अतिरिक्त एवं उक्त अवकाश  
अवधि, 2022 को कम-72 (क) (क) के अनुसार बिल में दर्शाये गये विक्रेदन  
अवधि अवधि तक बिल जारी अधिभार सुनिश्चित रूप से जल संचयन विभागादर किया  
जु सकता है।  
शिकायत निवारण केंद्र टोल फ्री नं० 1800 180 4100

02 BCF 20

बिल का नाम संयोजन की श्रेणी	वितरण तिथि	बिल की अवधि			बिल जमा करने की अंतिम तिथि	विक्रेदन तिथि
		से	तक	माह		
Low Head/ND/15	20-07-2020	04 / 2020	06 / 2020	3	17-08-2020	20-08-2020
वितरण का प्रकार	वैश्विक मूल्यांकन दर प्रतिमाह	सेटों की संख्या/ दर प्रतिमाह	सीवर संयोजन/सीट संख्या दर प्रतिमाह	वर्तमान रीडिंग	पिछली रीडिंग	उपयुक्त जल (कुल रीडिंग)/ प्रतिमाह
Avg.						
वितरण	वर्तमान मांग	मीटर किराया	बकाया	पूर्ण योग	शुद्ध अग्रिम	1,522.00
जल मूल्य	1,522.00			1,522.00		बिल का शुल्क
सीवर सीट						शुद्ध राशि
विभागाई चैक शुल्क						
अन्य देय						
पूर्ण योग	1,522.00			1,522.00	32.00 /	1,490.00

नोट : न्यूनतम धरार पर छूट अनुमत्य नहीं होगी। अर्थात् 10,000 लीटर अधिकतम प्रतिमाह से जल खपत को ऊपर देयक पर ही अधिकांश 30 दिन के अवकाश भुगतान करने पर 10% को छूट अनुमत्य होगी। देयक का भुगतान नही करने की स्थिति में विलम्ब  
अवधि के लिए 5% वार्षिक दर से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा। आईटीसीआई बैंक में भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।  
(शर्तों के लिए कृपया पीछे देखिए।)

राजन्व अधीक्षक/बिल निर्माण

अधीक्षक/अभियन्ता/जलकल अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता

उत्तराखण्ड जल संस्थान

89 04-01-2016

बिल संख्या 2012/04/4641638

उपभोक्ता संख्या RNOORAR02R7SH114641638

मांग संख्या cp-83

नाम प्रशोक कुमार, स्टोन क्रेश /

पता चौरपानी रामनगर /

उत्तराखण्ड जल संस्थान  
जल मूल्य/सीवर सीट एवं विच्छेदन नोटिस  
जल संचय जीवन संचय  
Ramnagar Rural



प्रत्येक बीजक का भुगतान देय तिथि तक अवश्य कर दें अन्यथा कारखाना (जल  
पौदा का सम्भाल एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुसूची एवं उप-नियम  
अनुसार, 2002 की धारा-72 (क) (ख) के अन्तर्गत विन में दस्तावेज जारी विच्छेदन  
अवधि उसके पर्यन्त बिना किसी कोटेशन सुचना के जल संचयन कारखाना बिना  
का सकता है।

विभागीय वेबसाईट : <http://ujs.uk.gov.in>

शिकायत निवारण केंद्र टोल फ्री नं० 1800 180 4100

योजना का नाम संयोजन की श्रेणी	वितरण तिथि	बिल की अवधि			बिल जमा करने की अंतिम तिथि	विच्छेदन तिथि
		से	तक	माह		
Low Head/ND/15	11-07-2012	04 / 2012	06 / 2012	3	30-07-2012	02-08-2012
बिलिंग का प्रकार वर्षिक मूल्यांकन दर प्रतिमाह	टॉटी की संख्या/ दर प्रतिमाह	सीवर संयोजन/सीट संख्या दर प्रतिमाह	वर्तमान रीडिंग	पिछली रीडिंग	उपयुक्त जल (कुल रीडिंग)/ प्रतिमाह	अंतिम
अवधि					15000	1.00
भुगतान	वर्तमान मांग	मीटर किराया	बकाया	पूर्ण योग	छूट/अग्रिम	बिलम्ब शुल्क
जल मूल्य	1,745.00			1,745.00		
सीवर सीट						
डिस्आनर्ड बैंक शुल्क						
अन्य देय						
पूर्ण योग	1,745.00			1,745.00	37.00 / 2.00	1,706.00

नोट : न्यूनतम भुगतान पर छूट अनुमति नहीं होगी। अर्थात् 10,000 लीटर अधिकतम प्रतिमाह पेप जल खपत के ऊपर देयक पर ही अधिकतम 30 दिन के अर्न्तगत भुगतान करने पर 10% की छूट अनुमति होगी। देयक का भुगतान नहीं करने की स्थिति में  
अवधि के लिए 1.5% मासिक दर से बिलम्ब शुल्क लिया जाएगा। आईटीडीसी आई बैंक में भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

(जर्नल के लिए कृपया पीछे देखिए)

राजस्व अधीक्षक/बिल लिपिक

अधीक्षिका अभियन्ता/जलकल अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता  
उत्तराखण्ड जल संस्थान

ASHOK STONE CRUSHER  
GRAM CHORPANI RAMNAGAR

Anx-16

**WATER METER LOGBOOK**

DATE	INITIAL READING	FINAL READING	TOTAL WATER CONSUMPTION KL	OPERATOR SIGNATURE	REMARK
01-01-2023	175.20	177.20	2.00	[Signature]	
02-01-2023	177.20	179.30	2.10	[Signature]	
03-01-2023	179.30	181.40	2.10	[Signature]	
04-01-2023	181.40	183.40	2.00	[Signature]	
05-01-2023	183.40	185.60	2.20	[Signature]	
06-01-2023	185.60	187.60	2.00	[Signature]	
07-01-2023	187.60	189.70	2.10	[Signature]	
08-01-2023	189.70	191.80	2.10	[Signature]	
09-01-2023	191.80	193.90	2.10	[Signature]	
10-01-2023	191.80	193.90	2.10	[Signature]	
11-01-2023	OFF			[Signature]	
12-01-2023	196.00	198.00	2.00	[Signature]	
13-01-2023	198.00	200.00	2.00	[Signature]	
14-01-2023	200.00	203.00	3.00	[Signature]	
15-01-2023	OFF			[Signature]	
16-01-2023	203.000	205.000	2.00	[Signature]	
17-01-2023	205.000	207.000	2.00	[Signature]	
18-01-2023	207.000	208.500	1.50	[Signature]	
19-01-2023	OFF			[Signature]	
20-01-2023	208.50	211.00	2.50	[Signature]	
21-01-2023	211.00	213.00	2.00	[Signature]	
22-01-2023	213.00	216.00	3.00	[Signature]	
23-01-2023	216.00	218.00	2.00	[Signature]	
24-01-2023	218.00	220.20	2.20	[Signature]	
25-01-2023	220.20	222.40	2.20	[Signature]	
26-01-2023	222.40	224.40	2.00	[Signature]	
27-01-2023	224.40	226.70	2.30	[Signature]	
28-01-2023	226.70	229.00	2.30	[Signature]	
29-01-2023	229.00	231.00	2.00	[Signature]	
30-01-2023	OFF			[Signature]	
31-01-2023	231.00	233.00	2.00	[Signature]	

57.80 KL

As per [Signature]

**ASHOK STONE CRUSHER  
GRAM CHORPANI RAMNAGAR  
WATER METER LOGBOOK**

DATE	INITIAL READING	FINAL READING	TOTAL WATER CONSUMPTION KL	OPERATOR SIGNATURE	REMARK
01-02-2023	233.00	235.00	2.00		
02-02-2023	235.00	236.00	1.00		
03-02-2023	236.00	238.00	2.00		
04-02-2023	238.00	240.00	2.00		
05-02-2023	240.00	242.00	2.00		
06-02-2023	242.00	245.00	3.00		
07-02-2023	245.00	247.00	2.00		
08-02-2023	247.00	249.50	2.50		
09-02-2023	249.50	253.00	3.50		
10-02-2023	253.00	255.00	2.00		
11-02-2023	255.00	257.00	2.00		
12-02-2023	257.00	259.80	2.80		
13-02-2023	259.80	262.60	2.80		
14-02-2023					
15-02-2023					
16-02-2023					
17-02-2023					
18-02-2023					
19-02-2023					
20-02-2023					
21-02-2023					
22-02-2023					
23-02-2023					
24-02-2023					
25-02-2023					
26-02-2023					
27-02-2023					
28-02-2023					

*Ashok Kumar*


ASHOK STONE CRUSHER  
GRAM CHORPANI RAMNAGAR

**WATER METER LOGBOOK**

DATE	INITIAL READING	FINAL READING	TOTAL WATER CONSUMPTION KL	OPERATOR SIGNATURE	REMARK
01-03-2023	298.00	300.30	2.30		
02-03-2023	300.30	302.70	2.40		
03-03-2023	302.70	305.00	2.30		
04-03-2023	305.00	307.40	2.40		
05-03-2023	307.40	309.70	2.30		
06-03-2023	307.70	312.00	2.30		
07-03-2023	312.00	315.00	3.00		
08-03-2023					
09-03-2023	315.00	317.30	2.30		
10-03-2023	317.30	319.30	2.00		
11-03-2023	319.30	321.30	2.00		
12-03-2023	321.30	323.50	2.20		
13-03-2023	323.50	325.90	2.40		
14-03-2023	325.90	328.20	2.30		
15-03-2023	328.20	330.70	2.50		
16-03-2023	330.700	333.40	2.70		
17-03-2023	333.400	336.40	3.00		
18-03-2023	336.400	339.20	2.80		
19-03-2023	339.200	342.00	2.800		
20-03-2023	342.00	345.00	3.00		
21-03-2023	345.00	347.00	2.00		
22-03-2023	347.00	349.00	2.00		
23-03-2023	349.00	352.70	3.70		
24-03-2023					
25-03-2023					
26-03-2023					
27-03-2023					
28-03-2023					
29-03-2023					
30-03-2023					
31-03-2023					

678


95



*ASANT*

679

96



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
कोसी निर्माण छाण्ड-2, रामनगर


पत्रांक:- 2594 / कोसिख-2 / दिनांक 20/12/93

विषय :- कानिया नहर से पानी लेने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक-शून्य दिनांक 4-12-93

अधीनस्थ स्थाने क्रेसर, ग्राम चोरपानी, रामनगर ।

दुपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे, कानिया नहर से अड्डाग डंच के पार्श्व से पानी गर्द को दवाने एवं छिडकाव हेतु पानी लेने की स्वीकृति प्रवे प्रदान की जाती है। ताकि प्रदूषण न हो सके।

  
। हेमन्द्र कुमार निम ।  
अधिशासी अभियन्ता ।

पत्रांक:- / दिनांक

प्रतिलिपि स्वायक अभियन्ता, तृतीय को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

। हेमन्द्र कुमार निम ।  
अधिशासी अभियन्ता ।